कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61 अंक : 01 नवम्बर 2014 मूल्यः ₹10

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

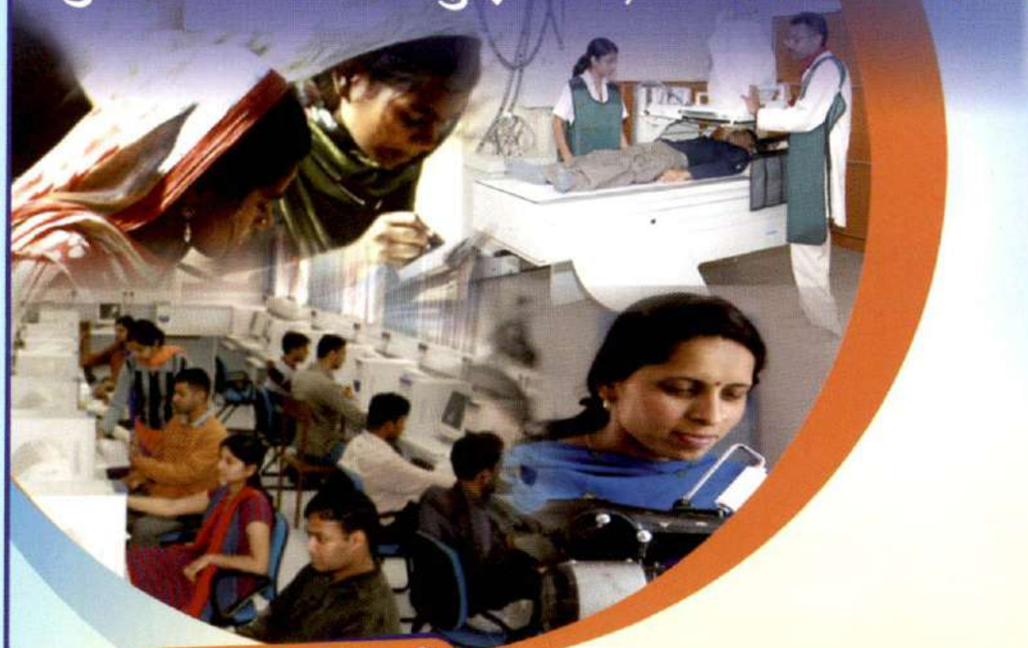

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1350 ₹ 200	 ₹ 1100 ₹ 200	 ₹ 900 ₹ 200	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII) (i) पाँच विषयों के लिए (ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	 ₹ 1500 ₹ 230	 ₹ 1250 ₹ 230	 ₹ 975 ₹ 230	ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क) 1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ) ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क) 1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)
ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. **1800-180-9393**; ईमेल : **lsc@nios.ac.in** वेबसाइट : **www.nios.ac.in**

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

KH-221/2014

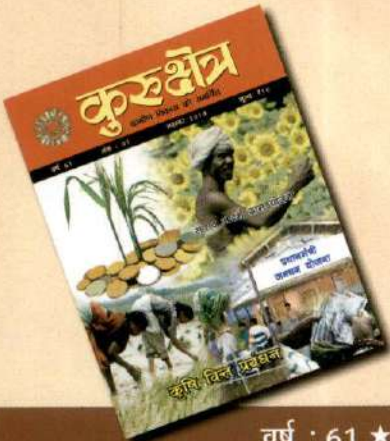

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 01 ★ पृष्ठ : 48 ★ कार्तिक–अग्रहायण 1936 ★ नवम्बर 2014

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110 011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 011–26100207, फैक्स : 26100207
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
रजत नायक
सज्जा
संजीव कुमार साणू

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

कृषि विकास के लिए जरूरी है बेहतर ऋण प्रबंधन — गौरव कुमार — 3

किसानों को ऋण प्राप्ति के संस्थागत स्रोत — हरिनारायण विश्वकर्मा — 9

कृषि वित्त प्रबंधन की समस्याएं एवं समाधान — सोनी कुमारी — 13

प्रधानमंत्री जनधन योजना की चुनौतियां — सतीश सिंह — 18

सांसद आदर्श ग्राम योजना — प्रोफेसर रणवीर सिंह — 22

कृषि संबंधी बैंक ऋणों को एन.पी.ए. फ्री कैसे बनाएं — रमेशचंद जैन — 27

भारत में कृषि ऋण की चुनौतियां — सौरभ कुमार — 30

कृषि विकास में सहायक उचित विपणन व्यवस्था — डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह एवं वैभव सिंह — 34

सब्जियों और फूलों की खेती के लिए नई हाइड्रोपोनिक विधि — मनोहर कुमार जोशी — 37

कैंसर फाइटर है टमाटर — डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल एवं डॉ. देवेन्द्र जैन — 40

तालाब के जरिए वित्त प्रबंधन में जुटे बुंदेलखंड के किसान — सुनील कुमार सिंह — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

"जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश एवं समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।" इसी बात के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही किसानों के हितों को विशेष तरजीह दी है और उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कई योजनाएं लागू की। विशेष तौर पर पिछले दो दशकों में सरकार किसानों की समृद्धि के लिए जो योजनाएं लाई हैं उनके परिणाम बेहद उत्साहवर्धक हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि इसी प्रयास का एक हिस्सा हैं।

आज हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड है। भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड की संयुक्त पहल पर किसानों के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना 1998 में लाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद आदि के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गांवों से सूदखोरी प्रथा खत्म हो गई है चूंकि पैसे के अभाव में किसान गांवों में रहने वाले साहूकारों पर आश्रित रहता था। यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था। इसी तरह खाद, बीज के व्यापारी भी मुंहमांगी कीमत वसूलते थे। कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज नहीं उतार पाने पर निराशा में किसान आत्महत्या तक का रास्ता चुनने को विवश हो जाते थे। किंतु अब स्थिति बदल गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का बीज खरीदते हैं और अपने हिसाब से खाद डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जहां उन्हें सस्ती दर पर ऋण मिल जाता है वहीं इसकी अदायगी में किसी तरह का झंझट नहीं रहता है। यह एक तरह से सामाजिक क्रांति जैसा है। यह बात खुद किसान स्वीकार करते हैं। किसानों का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में दी गई सहूलियत की वजह से उनकी कृषि ऋण संबंधी समस्याएं काफी हद तक सुलझ गई हैं।

किसानों की अल्पावधि एवं मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत एवं गैर–संस्थागत स्रोतों के माध्यम से होती है। गैर–संस्थागत स्रोतों में गांव के ही महाजन अथवा साहूकार आते हैं। साहूकार अथवा महाजन उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण प्रदान करते हैं लेकिन इसके बदले में वे बहुत ही ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं।

एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों से साहूकारों, महाजनों का महत्व काफी कम होता जा रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में इनका लगभग 75 प्रतिशत योगदान था लेकिन वर्तमान में इनका योगदान बहुत ही कम हो गया है जिसे एक उपलब्धि माना जा सकता है। सहकारी वित्त प्रबंधन भी गांव में किसानों के लिए ऋण उपलब्धि का सबसे सस्ता और बढ़िया स्रोत है। इसमें किसान को शोषण का भय नहीं रहता। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसानों को साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से बचाने के लिए ही हुई।

वर्तमान में भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों का विस्तृत जाल फैला हुआ है। इसके बावजूद यूरोपीय देशों की तुलना में सहकारी आंदोलन अधिक सफल नहीं हो पाया। सहकारिता भारतीय कृषकों के जीवन का अंग नहीं बन पा रहा है। इसके लिए वित्तीय साधनों का अभाव, निष्ठा का अभाव, जनसाधारण की चेतना का अभाव, अशिक्षा आदि कारण जिम्मेदार हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी 90 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। देशभर में 200 से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी हैं जिनकी 15 हजार से ज्यादा शाखाएं कार्य कर रही हैं।

सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना की शुरुआत 1999 में की गई। विभिन्न कारणों से फसल के बर्बाद होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति मिलती है। संबंधित फसल की लागत एवं क्षतिपूर्ति के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। यह योजना ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों तरह के किसानों पर समान रूप से लागू होती है। इसके तहत गन्ना, आलू, रूई, धनिया, इलायची, केला, मिर्च, हल्दी, जीरा आदि फसल को शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि एवं सामाजिक विकास बैंक 'नाबार्ड' देश में कृषि वित्त प्रबंधन की शीर्ष संस्था है। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिए कृषि साख संस्थाओं को पुनः वित्त प्रदान करने के लिए, वित्त संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 12 जुलाई, 1982 को इसकी स्थापना की गई थी।

भारतीय स्टेट बैंक भी कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में साख उपलब्ध कराता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज किसानों के लिए ऋण प्राप्ति के कई संस्थागत स्रोत उपलब्ध हैं जिनसे कृषिगत आवश्यकताओं की लगभग 80 प्रतिशत पूर्ति हो रही है। किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज समस्या वित्त प्रबंधन की नहीं बल्कि इस बारे में जागरुकता की है। साथ ही, कृषि ऋणों के दुरुपयोग या बिचौलियों से बचने की है। किसानों के लिए तमाम ऋण कार्यक्रम और योजनाएं हैं जबकि वे इसका लाभ अत्यल्प मात्रा में उठा पाते हैं। किसानों की जागरुकता के अभाव के कारण ही बिचौलियों के वर्ग का उदय हुआ है। हमें इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

कृषि विकास के लिए जरुरी है बेहतर ऋण प्रबंधन

गौरव कुमार

वर्तमान में कृषि क्षेत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है इसके लिए उपयुक्त ऋण व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न खाद्यान्न संकट के इस दौर में भारत जैसे कृषि प्रधान देश को इन चुनौतियों से निबटने के लिए अपनी प्रबंधकीय व तकनीकी विशेषज्ञता को सकारात्मक नीति के साथ उपयोग में लाने की जरुरत है। सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपेक्षित निवेश करें।

आज भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 58 प्रतिशत भाग कृषि और सम्बंधित सहयोगी क्षेत्र में लगा है। इतनी श्रम शक्ति लगे होने के बावजूद जी. डी. पी. में इसका योगदान काफी कम लगभग 16 प्रतिशत है। इसकी वजह क्या है? यह इसलिए है क्योंकि कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। सभी लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा का आधार भारतीय कृषि आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके समग्र और तीव्र विकास के लिए समय–समय पर कई सरकारी और जन उपाय किए गए हैं। तथापि, अब भी इसकी गतिशीलता बरकरार रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है इसके लिए उपयुक्त ऋण व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न खाद्यान्न संकट के इस दौर में भारत जैसे कृषि प्रधान देश को इन चुनौतियों से निबटने के लिए अपनी प्रबंधकीय व तकनीकी विशेषज्ञता को सकारात्मक नीति के साथ उपयोग में लाने की जरुरत है। सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपेक्षित निवेश करें।

आज अधिकांशतः कृषक समुदाय गरीबी और वंचना में जी रहा है जबकि कृषि में उत्पादन प्राप्ति के लिए लागत काफी बढ़ गई है। इस लागत को पूरा कर पाने की क्षमता उन गरीब कृषकों के पास लगभग नहीं के बराबर है। साथ ही उनके उत्पादों के लिए बाजार और कीमत इतनी नहीं है कि लागत की वसूली सही समय और सही तरीके से हो सके। अतः यह अनिवार्य बन जाता है कि हम उनकी इस समस्या का समाधान करें। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि हम पर्याप्त ऋण सुविधा सुनिश्चित करें या फिर उनके उत्पादों के बाजार और कीमत को ऐसा कर दें कि उन्हें लागत और मुनाफे की चिंता ना रहे।

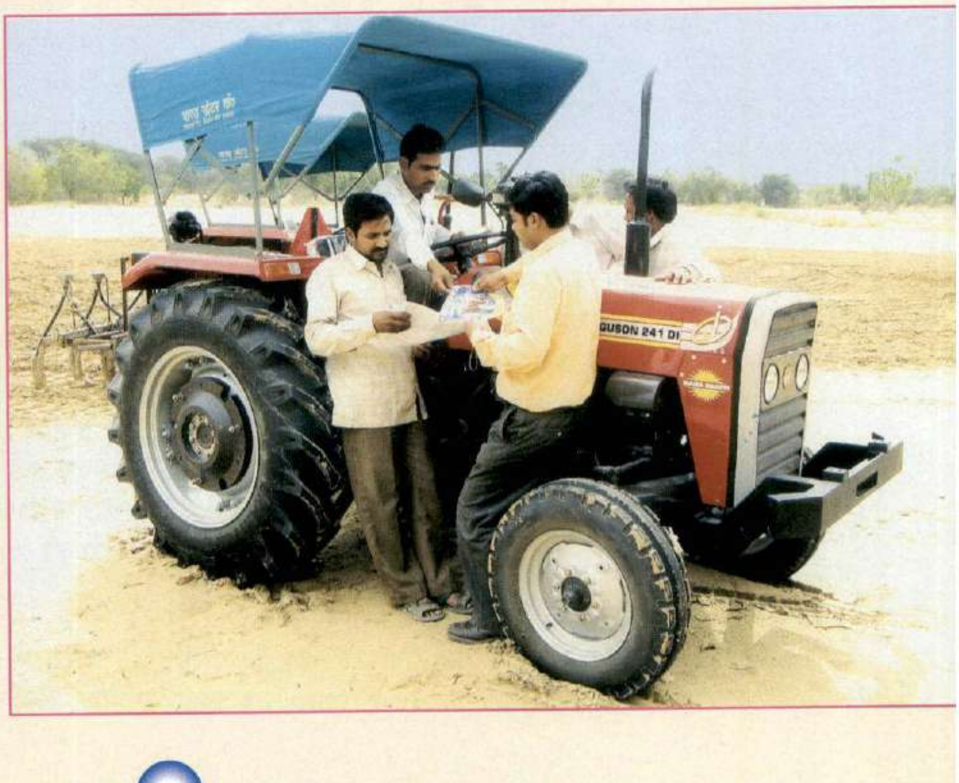

कृषि ऋण के लिए प्रयास

कृषि कार्य के लिए उपयुक्त वित्त व्यवस्था की कमी कृषि क्षेत्र के विकास में एक बड़ी बाधा है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था ताकि किसानों की अल्पकालीन ऋण जरूरतों को पूरा किया जा सके। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की धारा को तीव्र करने के उद्देश्य से ही सरकार ने 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) की स्थापना की थी। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे भी ग्रामीण कृषकों को बेहतर वित्तीय व ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। परन्तु इन सबके बावजूद कृषकों की सम्पूर्ण ऋण आवश्यकता की वांछित पूर्ति नहीं हो पायी है। देश में संस्थागत ऋण प्रवाह को गति देने के लिए ही भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने कई घोषणाएं व दिशा–निर्देश जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह माना गया है कि 2000 से 2010 के बीच कृषि ऋण का हिस्सा 755 प्रतिशत बढ़कर 3,90,000 करोड़ रुपये हो गया है। नाबार्ड के द्वारा गठित एक अनुसंधान आयोग का मानना है कि देश में अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक कृषि क्षेत्र को आवंटित ऋण 3 लाख करोड़ पर स्थिर रहा और तेजी से बढ़कर मार्च 2010 तक 8 लाख करोड़ हो गया है।

इन आंकड़ों से यही प्रतीत होता है कि किसानों के लिए लागू की जा रही ये योजनाएं बेहतर हैं परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। आज भी अधिकांश किसान गैर–संस्थागत स्रोतों से भारी ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण के मुद्दे पर नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष यू.सी. सारंगी की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया है कि छोटे व सीमान्त किसान गैर–संस्थागत स्रोतों से भारी मात्रा में उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इस दल ने बताया कि देश के करीब 36 प्रतिशत किसान 20–25 प्रतिशत ब्याज दरों पर, 38 प्रतिशत किसान 30 प्रतिशत ब्याज दरों पर साहूकारों या अन्य गैर–संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट इस तथ्य को और मजबूत करती है जिसमें यह बताया गया है कि देश में छोटे व सीमान्त किसान जिनके जोत में 2.5 हेक्टेयर भूमि है कुल कृषकों का 83 प्रतिशत है तथा कुल जोत का लगभग 43.5 प्रतिशत इनके पास है जबकि उनको प्राप्त ऋण मात्र 24 प्रतिशत ही है। इसके अलावा संस्थागत क्षेत्रों से ऋण प्राप्ति में भी किसानों को कई तरह की अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है। कई जगह तो उनसे अवैध शुल्क की मांग तक की जाती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दलालों का एक वर्ग तक पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में किसानों की दुर्दशा ठीक करने का प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक बेहतर ऋण प्रवाह की पारदर्शी प्रणाली नहीं बनती है।

चालू वित्त वर्ष 2014–15 के आम बजट में कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान देते हुए इस हेतु कई प्रावधान किए गए थे। बजट में कहा गया था कि किसानों को सात फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा साथ ही किसान विकास पत्र फिर से शुरू किया जाएगा। किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया। इसी प्रकार किसानों को 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ हेल्थ कार्ड बांटे जाने की घोषणा भी की गई। कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनाने, किसानों के सशक्तीकरण और उन्हें जागरुकता और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक टीवी चैनल शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया। साथ ही सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए। कृषि क्षेत्र में सरकार ने 4% वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बजट में कहा गया है कि प्रोटीन क्रान्ति और उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी सहायता के साथ दूसरी हरित क्रान्ति कृषि क्षेत्र में अहम फोकस होगा।

स्वयंसहायता समूह

यह समूह समान आर्थिक स्थिति वाले गरीबों का स्वैच्छिक संगठन है। प्रत्येक समूह में 15 –20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अपनी बचत को एकत्र करके अपनी आवश्यकता के मुताबिक ऋण प्राप्त करते हैं। समूह के अन्दर प्रारम्भिक स्तर पर भीतर ही वित्तीय लेन–देन को प्रोत्साहित किया जाता है । और आगे चल कर अतिरिक्त वितीय सहायता के लिए उन्हें किसी बैंक से सम्बद्ध कर दिया जाता है। कोई गैर–सरकारी संगठन इन समूहों के मार्गदर्शन, संरक्षण का काम करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी इन समूहों के गठन के जरिए समावेशी सामाजिक एकजुटता और उनकी ऋण आवश्यकता को पूरा कराने का प्रयास किया जाता है। 1 अप्रैल, 1999 से शुरू इस योजना में 2012 –13 तक 43.34 लाख स्वयंसहायता समूहों के गठन किया जा चुका है जिसमें से 179 लाख स्वरोजगारियों को 46273.55 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सहायता दी गई है । कृषि क्षेत्र को सुविधाजनक तरीके से ऋण प्रदान करने में यह महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शामिल सदस्य आमतौर पर कृषक होते हैं और वे अपने कृषि सम्बंधित किसी उद्यम के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

सूक्ष्म वित्त

भारत में पिछले दो दशक से सूक्ष्म वित्त की अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चाएं हुई हैं। सूक्ष्म वित्त को बांग्लादेश में

2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद युनुस ने काफी लोकप्रिय बना दिया है । भारत में भी इसका व्यापक महत्व है। सूक्ष्म वित्त एक प्रकार से लघु ऋण है इसके तहत गरीब और वंचित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता है । इसके तहत वैसे लोग पात्र होते हैं जिनके पास बैंक में जमानत रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। भारत में सूक्ष्म ऋण की शुरुआत नब्बे के दशक के मध्य से हुई है। इस काल में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त से जुड़े स्वयंसहायता समूह , सूक्ष्म वित्त संस्थान और स्वरोजगार महिला संघ आदि को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वैधानिक ऋण दिलाना शुरू किया । केंद्र सरकार ने इस अवधारणा को और भी सशक्त, पारदर्शी बनाने और कुशल प्रबंधन के लिए 20 मार्च, 2007 को लोकसभा में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (विकास और नियमन) विधेयक, 2007 पेश किया। सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में नाबार्ड को शीर्ष संस्थान बनाया गया है। सूक्ष्म वित्त की श्रेणी में पचास हजार रुपये तक की ऋण राशि को शामिल किया जाता है, आवास के मामले में यह डेढ़ लाख रुपये तक है। देश में पूर्व की गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों ने बेहतर परिणाम प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में गरीबी उन्मूलन योजनाओं और सामजिक कल्याण नीतियों की तुलना में सूक्ष्म वित्त बेहतर भूमिका निभा सकता है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है यदि इसका क्रियान्यवयन सही तरीके से किया जाए।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

यह वास्तविकता है कि किसान ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके विकल्प के रूप में सरकार ने विगत वर्ष के कृषि क्षेत्र के लिए 375000 करोड़ रुपये की ऋण राशि को 2011 –12 में 475000 करोड़ रुपये कर दिया। पुनः 2013–14 के वार्षिक बजट में इस ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषकों को कृषि क्षेत्र से विमुख होने से रोकने और साहूकारों की उच्च ब्याज दरों के ऋण के जाल से बचाने के लिए उन्हें अल्पकालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने हेतु 1998 में किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ किया गया। रिजर्व बैंक के अनुसार 2009 –10 तक 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। इसके तहत अल्पकालीन ऋण सुविधाजनक तरीके से मुहैया कराया जाता है। इससे किसानों को अत्यल्प कम ब्याज दरों पर सस्ता ऋण मुहैया कराया जा रहा है, समय पर ऋण भुगतान करने वाले कृषकों को मात्र 4 प्रतिशत का ब्याज देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। साथ ही बैंकों के द्वारा दिए गए ये ऋण प्राथमिक क्षेत्र के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जोखिमों के विकल्प के रूप में फसल बीमा योजना को भी लागू किया गया। इस प्रक्रिया व नीति से निश्चित रूप से किसान अपनी ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन व्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त करेंगे।

नाबार्ड का गठन

वित्तीय समावेशन और कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की धारा को तीव्र करने के प्रयासों के तहत ही 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) का गठन किया गया। इसके अलावा सरकार ने नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को भी बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया, जिससे अधिकतम कृषकों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है । इसके द्वारा अनेक वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये संस्थाएं हैं–राज्य भूमि विकास बैंक , राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

2 अक्टूबर, 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बेहतर बैंकिंग, वित्तीय व ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था जहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। इन बैंकों का एक लक्ष्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कार्यरत हैं। आरम्भ में ग्रामीण बैंक कुछ लक्षित समूहों को ही अपनी सेवाएं देते थे किन्तु 22 मार्च, 1997 के बाद से ये लक्ष्य समूह के बाहर के लोगों को भी ऋण देने लगे और उन्हें दिए गए उधार को प्राथमिकता तथा अन्य श्रेणी के ऋणों में रखा गया।

प्राथमिक साख समितियां

प्राथमिक साख समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव या कई क्षेत्र के लोग मिलकर कम से कम दस व्यक्तियों का समूह बनाकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। इन समितियों को प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) भी कहते हैं। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण करीब 1 वर्ष के लिए या विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष के लिए

देती है। ये समितियां जिला सहकारी बैंक की सदस्य होती हैं। तथा ये बैंक ही उन्हें आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं। राज्य–स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं जो राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं।

भूमि विकास बैंक

किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने या पुराने ऋणों के भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। इन बैंकों का ढांचा दो स्तरों वाला है, राज्य–स्तरों पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला या तालुका–स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को उनकी किसी संपत्ति को जमानत के तौर पर रखकर ऋण दिए जाते हैं।

इन सबके अलावा देश के विभिन्न भागों में फैले वाणिज्यिक बैंकों सहित विभिन्न गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं व एजेंसियों के माध्यम से भी कई तरह की ऋण व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। इनमें स्वर्ण पर ऋण जैसी योजना काफी लोकप्रिय भी रही है। परन्तु इन सबके बावजूद ग्रामीणों की सम्पूर्ण ऋण आवश्यकता की वांछित पूर्ति नहीं हो पायी है।

कृषि क्षेत्र के ऋण विकल्प

ऋण पर निर्भरता को दूर करने के विकल्प–भारतीय कृषकों की ऋण समस्या काफी जटिल है। परन्तु हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम उनको क्यों ऋण पर ही आश्रित रखे? क्या हम कृषकों को इतना सशक्त नहीं बना सकते कि उनकी निर्भरता सरकारी अनुदानों और ऋण पर से कम हो या फिर समाप्त हो जाए। इसके लिए हमें कुछ संस्थागत और गंभीर सुधार करने होंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए बाजार की नीतियों में सुधार के साथ कृषि संसाधनों की सुलभता को सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन इसका समुचित लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता। कृषि क्षेत्र की उत्पादित फसलों के उचित मूल्य वाले बाजार की उपलब्धता वर्तमान में सीमित मात्रा में है। अभी भी देश के 60 प्रतिशत गांव बाजार केंद्र से विमुख हैं। इस समस्या के साथ बाजार की नीतियां और गलत क्रियान्वयन एक तरफ महंगाई को बढ़ाती है तो दूसरी ओर वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है। सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है जिसे समय–समय पर बढ़ाया भी जाता है। इस योजना से किसानों को कई जगहों पर लाभ भी मिला है। किन्तु यह भी वास्तविकता है कि इस उपयुक्त मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए एकमात्र क्रेता भारतीय खाद्य निगम उपलब्ध है। इसकी भी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम है। जहां पर यह उपलब्ध है वहां भी संलिप्त भ्रष्टाचार के कारण योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती। उचित मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए कृषकों से कई जगहों पर अनैतिक मूल्य मांगा जाता है। इससे परेशान होकर कृषक स्थानीय दुकानों में ही सुविधाजनक तरीके से अपनी मूल्यवान उपज को अत्यंत कम मूल्य पर बेच देते हैं। किसानों की उपज का इस प्रकार से अवमूल्यन होने में बिचौलियों का भी काफी योगदान होता है। इसमें कई स्तरों पर व्याप्त अनियमितता से किसानों को उनका सही हक नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण कृषकों की आय उनकी लागत से बढ़ जाती है और अंततः वे ऋण ग्रस्तता से परेशान रहते हैं।

भंडारण

कृषकों का अनाज अकुशल प्रबंधन से काफी मात्रा में बर्बाद तो होता ही है सरकारी खरीद से एकत्र अनाज भी भंडारण की अव्यवस्था के कारण लगभग 30 प्रतिशत तक बर्बाद हो जाता है। वर्तमान में देश में काफी बड़ी मात्रा में अनाज गोदामों में सड़ रहा है। इससे एक तरफ तो खाद्य संकट की स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ खाद्य मुद्रास्फीति भी निरंतर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक वर्ष में जितना अनाज बर्बाद होता है उतने से 70 लाख लोगों को दो वक्त का भोजन दिया जा सकता है। किसान आयोग की सिफारिशों व सरकारी प्रयासों से अनाज भण्डार गृहों का निर्माण किया गया है। भण्डार गृहों और शीत गृहों के निर्माण व उसके प्रबंधन में निजी क्षेत्र भी रुचि ले रहे हैं जोकि सकारात्मक पहल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले अनाज भंडारण व परिवहन के सही प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के अभाव में ही सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। भंडारण और प्रोसेसिंग की वर्तमान समस्या से निपटने के लिए हम मनरेगा को इसके साथ जोड़ सकते हैं, इससे पंचायत–स्तर का भण्डार गृह का निर्माण कराकर उस पंचायत की सम्पूर्ण उपज के भंडारण की समस्या का निदान किया जा सकेगा।

अनुसंधान और विकास

बीजों के व्यापार में संलिप्त भ्रष्टाचार से किसानों की अपूरणीय क्षति होती है। कानून के द्वारा इसके उपाय के रूप में

बीज (संशोधन) विधेयक 2010 अभी संसद में लंबित है। इसके लागू होने से स्पष्ट बीज नीति व मूल्य निर्धारित हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को गुण वत्तायुक्त बीज मुहैया कराने की योजनाएं लागू की गई हैं। बाजार से कम मूल्य पर सम्बंधित भूमि के उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को इस योजना के तहत दिए जाते हैं। परन्तु इसके प्रति भी हमारा अनुभव सकारात्मक नहीं रहा है। जरूरतमंद कृषकों तक योजना का लाभ नहीं मिलता और बिचौलिए इसे बीच में गबन कर जाते हैं। बीजों के सम्बन्ध में सबसे अहम् बात जिसके प्रति प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वामीनाथन ने भी ध्यान दिलाया है कि जिस मिट्टी में फसल बोनी है हमारा बीज अनुसंधान उसके प्रति होना चाहिए। परम्परागत बीजों की उपज में प्रायः कमी देखने को मिलती है। हालांकि विभिन्न संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं जोकि अपर्याप्त है। अनुसंधानों को बढ़ावा देकर हम कृषकों की पारंपरिक खेती में कमी लाकर फसल उपज में वृद्धि दर्ज कर सकते हैं। देश में मौजूद कृषि संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए उसमें अनुसंधानों के लिए निवेश को बढ़ाने की जरुरत है।

कीटनाशकों के निरंतर अंधाधुंध उपयोग से जमीन की उर्वरता में ह्रास हुआ है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। विकास की धमनियां कही जाने वाली नदियों का जल भी इसके प्रयोग से प्रदूषित होता जा रहा है, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से मानव पर पड़ा है। इसके विकल्प के रूप में जैविक कृषि की अवधारणा सामने आई है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग से फसल के उत्पादन में कमी आती है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जैविक कृषि से उत्पादन में वृद्धि होती है, धरती की घटती उर्वरा शक्ति की पुनः प्राप्ति हो सकती है, प्राकृतिक संतुलन बरकरार रहता है और सबसे महत्वपूर्ण यह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसके प्रति जागरुकता को बढ़ाने के साथ ही इसके लिए उपयुक्त बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए जैविक कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देना होगा और जैविक खादों को सस्ती दरों पर बाजार में उतारना हमारी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। अनुसंधानों को बढ़ावा देकर हम कृषक की पारंपरिक खेती में कमी लाकर फसल उपज में वृद्धि दर्ज कर सकते हैं। देश में मौजूद कृषि संस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए उसमें अनुसंधानों के लिए निवेश को बढ़ाने की जरुरत है। बेहतर अनुसंधान और विकास से अच्छे उत्पादन की उम्मीद की जा सकेगी और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी।

भूमि का आकार

वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का आकार घटता जा रहा है। कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण, गैर–कृषि कार्य यथा, परमाणु संयंत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, कारखानों आदि की स्थापना के लिए हो रहा है। इससे हमारी जोत का आकार घटा है और पैदावार में कमी आई है। इसका स्पष्ट प्रभाव कृषकों की आय संरचना पर पड़ता है और वे इतना उत्पादन नहीं कर पाते कि अपनी लागत को वसूल सकें। वर्ष 1950–51 में भारत में 76 प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती थी जोकि 2003–04 में घटकर 65 प्रतिशत ही रह गई है। इस परिदृश्य में खाद्य उत्पादन में भी ह्रास होना स्वाभाविक है। किसानों के सामने बढ़ती जनसंख्या से पैदा हुई जमीन की कमी भी प्रमुख समस्या है। सरकार ने 1960 के दशक में भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया और भू–जोतों के सीमा निर्धारण आदि कार्यक्रमों के जरिए इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया था। नाबार्ड के द्वारा 2002 से छोटे व असमर्थ कृषकों को जमीन खरीदने हेतु ऋण देने की योजना शुरू की गई जिसका लाभ अत्यंत कम मात्रा में कृषकों ने उठाया। चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, अतः केन्द्रीय योजना को समग्र रूप में लागू करने में समस्या पैदा होती है। वर्तमान में भू–नीतियों, भूमि खरीद–बिक्री नीतियों में कई खामियों के मौजूद रहने के कारण भी समस्या बढ़ी है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें दीर्घकालीन नीतियों के साथ ही लघु नीतियों को अमल में लाना होगा। समग्र रूप में भूमि प्रबंधन कानून को लागू करना होगा जिसके तहत काफी पुरानी पड़ चुकी भूमि नीतियों में सुधार करने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की नीतियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ कर आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करके हम कृषि योग्य भूमि के बंटवारे की समस्या से निजात पा सकते हैं। इससे हम छोटे जोतों से पैदा होने वाली आर्थिक असमानता को भी कम करने की दिशा में बढ़ पाएंगे।

कृषि क्षेत्र की उपरोक्त समस्याओं को यदि हम बेहतर तरीके से सुलझा लेते हैं तो हम न केवल कृषि क्षेत्र की बल्कि कृषकों की भी समस्याओं का हल कर सकते हैं। उनकी ऋण आवश्यकता की पूर्ति इस तरह के विकल्पों से जा सकती हैं। अतः जरुरी यह भी है कि हम न केवल ऋण सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें बल्कि सबसे जरुरी यह भी है कि हम किसानों को इन सुधारों के द्वारा इतना सशक्त कर दें कि वे अपनी जरुरत स्वयं पूरा कर सकें; अपनी आय से मुनाफा कमा सकें और खेती को लाभदायक रोजगार मानें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : gauravkumarsss1@gmail.com

CAREER LAUNCHER

सिविल सेवा अभ्यर्थियों

सिविल सेवा परीक्षा 2015 की तैयारी के लिए आज ही नामांकन कराऐं।

CL हॉल ऑफ फेम

सिविल सेवा '13 की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ -241 (समान्य श्रेणी) था
आप 241 में से 180 से भी अधिक अंक GS II (CSAT) में ही प्राप्त कर सकते हैं
बहुत से CL विद्यार्थियों ने ऐसा कर दिखाया

CL पंजीकरण संख्या	विद्यार्थी का नाम	यूपीएससी अनुक्रमांक	CSAT प्राप्तांक (200 में से)	CSAT प्रतिशत	सिविल सेवा (प्रा.) 2013 के कट ऑफ (241) में CSAT के प्राप्तांक का प्रतिशत
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	श्रुजीत वेलुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत बोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्लू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8
5619612	गरूण सुमित सुनील	361061	187.5	93.8	77.8
2387056	प्रतीक वमसी गुर्रम	164567	187.5	93.8	77.8
5597676	मुरलीधर कोमीशेट्टी	033471	187.5	93.8	77.8
5597844	अर्पित शर्मा	103316	187.5	93.8	77.8

और भी बहुत से...

CSAT '15 के लिए CL से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें

सिविल सेवा परीक्षा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं

रैंक 1st

गौरव अग्रवाल
CL पंजीकरण संख्या: 3540934

रैंक 3rd

रचित राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692

रैंक 6th

साक्षी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711

रैंक 8th

जॉनी टी वर्गीज
CL पंजीकरण संख्या: 5293820

रैंक 9th

दिव्यांशु झा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566

रैंक 10th

मेघा रूपम
CL पंजीकरण संख्या: 10017630

और भी बहुत से...

85 CL विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा 2013 में सफलता प्राप्त की

CL | Civil Services Test Prep

/CLRocks

www.careerlauncher.com/civils

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम् CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगर: 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन - 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगर: 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन - 42375128/29
बेर सराय: 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन - 26566616/17

इलाहाबाद: 19 बी/49, भूतल, कमला नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी स्टेडियम गेट के सामने, मनमोहन पार्क चौराहा, फोन - (0)9956130010

KH-225/2014

किसानों को ऋण प्राप्ति के संस्थागत स्रोत

हरिनारायण विश्वकर्मा

मानसून के साथ ही कृषि एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर है, और वह है ऋण प्रबंध। अर्थात् सही समय पर ऋण प्राप्ति किसानों के लिए अमृत का कार्य करती है। कृषि से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रमुख रूप से छोटे और मझोले किसानों की संख्या अत्यधिक है जो पूर्णतः कृषि उपज पर ही निर्भर होते हैं। उसी उपज से अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं और उस उपज के एक भाग को बचाकर अगले उत्पादन के लिए लागत के रूप में लगाते हैं। और यही क्रम हमेशा चलता रहता है। किसानों की अल्पावधि एवं मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत एवं गैर-संस्थागत स्रोतों के माध्यम से होती है। गैर-संस्थागत स्रोतों में गांव के ही महाजन अथवा साहूकार आते हैं। सस्थागत ऋण में ऐसी राशियां शामिल की जाती हैं जो सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है एवं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 69 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। एक अध्ययन से पता चला है कि कृषि देश के लगभग 60 प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराती है। रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के विकास से ही ग्रामीण विकास को गति प्रदान की जा सकती है। लेकिन भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा रहता है, तो कृषिगत पैदावार अच्छी होती है, और यदि मानसून समय पर नहीं आता है, तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मानसून के साथ ही कृषि एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर है, और वह है ऋण प्रबंध। अर्थात् सही समय पर ऋण प्राप्ति किसानों के लिए अमृत का कार्य करती है। कृषि से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रमुख रूप से छोटे और मझोले किसानों की संख्या अत्यधिक है जो पूर्णतः कृषि उपज पर ही निर्भर होते हैं। उसी उपज से अपने परिवार की अजीविका चलाते हैं और उस उपज के एक भाग को बचाकर अगले उत्पादन के लिए लागत के रूप में लगाते हैं। और यही क्रम हमेशा चलता रहता है। यदि इस क्रम में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इसका सीधा प्रभाव कृषिगत उत्पादन पर पड़ता है। इसके साथ ही यदि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उन्हें बहुत–सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

किसानों के ऋण के स्रोत

किसानों की अल्पावधि एवं मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति संस्थागत एवं गैर–संस्थागत स्रोतों के माध्यम से होती है। गैर–संस्थागत स्रोतों में गांव के ही महाजन अथवा साहूकार आते हैं। ये साहूकार अथवा महाजन उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के प्रयोजनों के लिए अल्पावधि एवं मध्यावधि ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन इसके बदले वे बहुत ही ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों से इनका महत्व काफी कम होता जा रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में इनका लगभग 75 प्रतिशत योगदान था, लेकिन वर्तमान में इनका योगदान बहुत ही कम हो गया है।

संस्थागत स्रोत

सस्थागत ऋण में ऐसी राशियां शामिल की जाती हैं जो सहकारी समितियों, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। संस्थागत वित्त का महत्व 1970 के बाद तेजी से बढ़ा है। 1970 में कृषि क्षेत्र को 1798 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए गए।

सहकारी समितियां

सहकारी वित्त प्रबंध गांव में किसानों के लिए ऋण उपलब्धि का सबसे सस्ता और बढ़िया स्रोत है। इसमें किसानों को शोषण का भय नहीं रहता। भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव कृषकों को साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से बचाने के लिए हुआ। वर्तमान समय में भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों का विस्तृत जाल फैला हुआ है। जिला एवं राज्य स्तर पर लगभग सभी राज्यों में सहकारी संघ स्थापित किए जा चुके हैं। सहकारी समितियों ने उधार, बैंकिंग, कृषि आगतों के वितरण, कृषि विधायन, भण्डारागार और गोदाम कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत की सहकारी समितियों का ढांचा तीन–स्तरीय है:

- प्राथमिक–स्तर की समितियां
- जिला–स्तरीय साख समितियां
- राज्य–स्तरीय साख समितियां

ये समितियां किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं। लेकिन निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों की तुलना में सहकारी आंदोलन अधिक सफल नहीं हो पा रहा है। सहकारिता भारतीय कृषकों के जीवन का अंग नहीं बन पा रहा है। इसके लिए वित्तीय साधनों का अभाव, निष्ठा का अभाव, जनसाधारण की चेतना का अभाव, अशिक्षा, आदि कारण जिम्मेदार हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में अपने प्रतिवेदन में एक बहूद्देशीय सहकारी समिति के गठन का सुझाव दिया, जो साख प्रदाय आदानों की पूर्ति एवं कृषि सेवाएं प्रदान करने का कार्य अपने हाथ में ले सकें। भारत सरकार द्वारा भी यह अनुभव किया गया कि एक ऐसे नए संस्थान की स्थापना की आवश्यकता है, जो ऐसी अभिवृत्ति एवं परिचालनात्मक लोकाचारों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के अधिशेषों से पूर्णतः भिन्न हो। भारत सरकार ने जुलाई 1975 में एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में ग्रामीण बैंकों के गठन हेतु एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की एवं देश में पहली बार इस तरह के 5 बैंक खोले गए। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनकी 90 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना, लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों आदि की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह ऋण पर अन्य बैंकों की तुलना में एक प्रतिशत कम ब्याज दर लेता है। इन बैंकों का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार के पास, 15 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों के पास एवं 35 प्रतिशत भाग स्वयं बैंक के पास होता है। वर्ष 2008 के अन्त तक देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा चुकी है, जिनकी 14,832 शाखाएं कार्य कर रही हैं। इन बैंकों ने वर्ष 2008–09 में 25,852 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का वितरण किया। देश के कुल कृषि ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है।

भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंक वे हैं जो भूमि की प्रतिभूति पर कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंकों का प्रमुख उद्देश्य राज्य ऋणों की असन्तोष नीति को दूर करना है। ये बैंक दिए गये ऋण की ब्याज दर कम करके उत्पादक उपायों को कृषकों तक पहुंचाते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में देश में भूमि विकास बैंकों को राज्य की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इनके विकास में दिलचस्पी ली, जिससे इनकी प्रगति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 1950– 51 में 5 केन्द्रीय एवं 286 प्राथमिक भूमि विकास बैंक थे। वर्तमान तक इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई। भारतीय भूमि विकास बैंकों का ढांचा अधिकांश राज्य स्तर पर केन्द्रीय बैंक के अलावा तहसील एवं जिला–स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि राज्यों में एकात्मक संगठन हैं। भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को सामान्यतः 15 से 20 वर्षों के लिए ऋण प्रदान किए

जाते हैं। भूमि विकास बैंक साधारणतया तीन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं–

- भूमि पर स्थायी सुधार जैसे परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एवं सिंचाई के साधनों जैसे कुआं खुदवाने, एवं नलकूप आदि के निर्माण के लिए।
- कृषि यंत्रों जैसे–ट्रेक्टर, थ्रेशर आदि को खरीदने के लिए।
- किसानों के पुराने ऋणों के भुगतान के लिए।

नाबार्ड

देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था के लिए, कृषि साख संस्थाओं को पुनः वित्त प्रदान करने के लिए, वित्त संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था के रूप में 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 'नाबार्ड' की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि, ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों, दस्तकारी एवं ग्रामीण कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

नाबार्ड के प्रमुख कार्य– नाबार्ड को कृषि वित्त से संबंधित निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं–

- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।
- धन देने वाली संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।
- सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करना।
- कृषि सम्बन्धी अनुसंधान करना।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए स्थापित सभी संस्थाओं के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना।

व्यापारिक बैंक

प्रारंभ में व्यापारिक बैंकों का कृषि वित्त में योगदान काफी कम था, जिसका प्रमुख कारण भारतीय कृषि सिर्फ जीवन निर्वाह का स्रोत एवं इसका असंगठित स्वरूप था। इसी कारण वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी क्रियाएं शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखी, और सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के लिए वित्त जुटाते थे लेकिन जुलाई 1969 में सरकार द्वारा 14 व्यापारिक बैंकों एवं 1980 में 6 और व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई साख की मात्रा में

निरन्तर वृद्धि हुई। व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इन बैंकों ने जो नीति अपनायी उसका परिणाम यह हुआ कि जहां 1950–51 में व्यापारिक बैंकों का कुल प्रदत्त ऋणों में योगदान 1 प्रतिशत था, वहीं 2008–09 में बढ़कर इन बैंकों के द्वारा 2,02,856 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार से हाल के वर्षों में भारत में कृषि विकास में अत्यधिक सहायता मिली है। साथ ही किसानों को महाजनों के चंगुल से भी छुटकारा मिला है। समय–समय पर इन बैंकों के द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके बावजूद भी व्यापारिक बैंकों की बहुत–सी कमियां रहीं जैसे बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का सकेन्द्रण कुछ ही राज्यों में हुआ, कई ग्रामीण शाखाएं साख विकास के कार्यक्रमों को बनाने व उन्हें लागू करने में असफल रहीं। बैंकों के ऋण कार्यक्रमों से लाभ अधिकतर बड़े एवं मध्यम किसानों को ही हुआ है।

भारतीय स्टेट बैंक

कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की साख सुविधाएं प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में साख उपलब्ध कराता है। यह बैंक सहकारी समितियों को नीची ब्याज दर पर ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु साख व्यवस्था करता है, विपणन समितियों को ऋण देता है, तथा भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीदता है। यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलकर कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक एवं

इसके सहायक बैंकों की देश में लगभग 16000 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 35 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1972 में कृषि विकास शाखा खोलने की एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई जिसके द्वारा किसानों को वित्त सुविधा प्रदान की जा रही है।

सरकार

सरकार भी समय–समय पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है। सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से कृषि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सहायता सहकारी साख समितियों के माध्यम से दी जाती है, एवं प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें तकाबी कहा जाता है, प्रायः बाढ़, अकाल या अन्य संकट के समय दिए जाते हैं। ऋणों की वापसी किस्तों के माध्यम से की जाती है। सरकार द्वारा उपलब्ध ऋण यद्यपि कम ब्याज पर मिलते हैं लेकिन फिर भी किसान विभिन्न कारणों से इनका फायदा नहीं उठा सके हैं। लेकिन, सन्तोषजनक जमानत न दे पाना, ऋणों के मिलने में विलम्ब होना, वसूली में कठोरता आदि दोषों के कारण यह ऋण किसानों में अधिक लोकप्रिय नहीं हैं। अतः वर्तमान में इन ऋणों का प्रचलन बहुत ही कम है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 1998–99 में चलन में आया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य बैंकों से किसानों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि किसानों की कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकें। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण कम ब्याज दर पर सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। भारत में प्रायः सभी राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से जारी किये जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के चलने से किसानों की गांव के साहूकारों पर से निर्भरता समाप्त हो गयी है, और साथ ही किसानों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के समय पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। रिजर्व बैंक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009–10 तक देश में 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में स्वतंत्रता के समय किसानों को ऋण उपलब्धि के गैर–संस्थागत स्रोतों जिनमें साहूकार एवं महाजन, व्यापारी एवं कमीशन एजेंट, मित्र एवं रिश्तेदारों आदि पर निर्भर रहना पड़ता था, जोकि उन्हें ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते थे जिसके परिणामस्वरूप किसान हमेशा कर्ज के बोझ के नीचे दबा रहता था। उस समय ऋण के संस्थागत स्रोतों का हिस्सा बहुत ही कम था। लेकिन आज स्थिति ठीक विपरीत हो गई है, किसानों के लिए ऋण प्राप्ति के संस्थागत स्रोतों में काफी तेजी आई है, और किसानों के लिए कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंध में लगभग 80 प्रतिशत भाग संस्थागत स्रोतों का है जिनके द्वारा आसानी से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, (म.प्र.))
ई–मेल : harinarayan060788@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....
पता ....
.... पिन ....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

कृषि वित्त प्रबंधन की समस्याएं एवं समाधान

सोनी कुमारी

विगत कुछ समय में भारतीय किसान क्रेडिट योजना की मदद से आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ने न सिर्फ कृषि विकास को गति दी है बल्कि सामाजिक समस्या का भी खात्मा किया है। अब किसानों को न तो साहूकारों के जाल में फंसना पड़ता है और न ही पैसे के अभाव में उनकी फसल खराब होती है। वे समय पर फसल में न सिर्फ खाद-बीज की व्यवस्था कर लेते हैं बल्कि दूसरी आधारभूत जरुरतें भी पूरी करने में सफल हैं।

देश की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। इनका मूल व्यवसाय कृषि है। एक तरह से कृषि ही देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। कृषि विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करने के साथ ही किसानों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि इसी प्रयास का एक हिस्सा है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि की विभिन्न संभावनाओं को विकसित करना है। ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े रोजगार को घोषित करना और रोजगार के नये अवसर विकसित करना भी इसके मकसद में शामिल है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

राष्ट्रीय कृषक नीति

सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा की है। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के बाद इसे वर्ष 2007 में अनुमोदित किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसमें उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों को उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके कृषि संबंधी ज्ञान को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि नीति में किसानों को जैव प्रौद्योगिकी, सूचना संचार, नैनो प्रौद्योगिकी, मृदा संरक्षण, खाद्य सुरक्षा आदि से भी जोड़ने की योजना है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय कृषि नीति बनने के बाद किसानों की स्थिति के अनुसार समय-समय पर

सुझाव–समस्या, समाधान आदि के लिए अंतरमंत्रालय समिति का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय कृषक नीति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:–

ऋण एवं बीमा – इसके तहत जो किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके लिए कृषि राहत पैकेज, ऋण के लेन–देन से संबंधित सलाहकार केन्द्रों का विकास, किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का विकास, फसलों के बर्बाद होने की स्थिति में बीमा एवं मुआवजे का प्रावधान करना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य– देश में ऐसी व्यवस्था बनाना जिसके जरिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके एवं एकीकृत बाजार की व्यवस्था करना।

महिला सुरक्षा : खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उनके बच्चों के लिए पालनाघर, पोषण आदि की व्यवस्था। स्वयंसहायता समूह के जरिए खेती करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन आदि।

किसानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना। नई तकनीकी के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना। जैव प्रौद्योगिकी, संचार, नैनो, जैव सुरक्षा आदि सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए अलग–अलग देशों में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश की भौगोलिक एवं उनकी आधारभूत जरूरतों पर आधारित योजनाएं तैयार की जा रही हैं। देश आयोजना स्कीम को इसी के तहत मदद मुहैया कराई जा रही है। इसके तहत देश को कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन विकसित करने के लिए केन्द्र की ओर से मदद मुहैया कराई जा रही है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं, धान, दालों आदि फसलों का समेकित विकास। कृषि यंत्रीकरण, सिंचित फार्मिंग प्रणाली का विकास, बंजर भूमि का विकास, कीट प्रबंधन, मंडी विकास, पशुपालन, बागवानी, जैव उर्वरक आदि का विकास करना है।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना

सरकार की ओर से शुरू की गई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना की शुरुआत 1999 में की गई। विभिन्न कारणों से फसल के बर्बाद होने पर किसान को क्षतिपूर्ति मिलती है। संबंधित फसल की लागत एवं क्षतिपूर्ति के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। यह योजना ऋणी एवं गैर–ऋणी दोनों तरह के किसानों पर समान रूप से लागू होती है। इसके तहत गन्ना, आलू, रूई, धनिया, इलायची, केला, मिर्च, हल्दी, जीरा आदि फसल को शामिल किया गया है।

एकीकृत आपदा बीमा

इसके तहत प्राकृतिक आग और वज्रपात, आंधी–तूफान, समुद्री तूफान, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, अनावृष्टि, कीट बीमारी आदि को शामिल किया गया है। इन सभी अवस्थाओं में बीमित किसान के विकल्प से बीमित फसल के सकल उत्पाद तक बीमित राशि को बढ़ाया जा सकता है। फसल के अधिसूचित होने की स्थिति में किसान फसल की कीमत को 150 फीसदी तक बढ़ा सकता है। फसल कर्ज वितरण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की ओर से जारी होने वाले निर्देश लागू होंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के प्रीमियम में 50 फीसदी सरकार की ओर से अनुदान होगा।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

मौसम आधारित बीमा का लक्ष्य बीमित व्यक्ति को मौसम की विपरीत स्थितियों में फसल के नुकसान की स्थिति में लाभ दिलाना है। इसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। मौसम आधारित खरीफ फसल बीमा के तहत खरीफ में कम या अधिक बारिश होने, रबी में मौसम की विषम परिस्थितियों जैसे ओलावृष्टि अथवा अधिक गर्मी होने से फसल के नुकसान होने पर लागू होता है। यह उपज की गारंटी का बीमा नहीं है। इस योजना का लाभ फसल उगाने वाले सभी किसान ले सकते हैं। इसमें अधिकतम देयता आठ हजार प्रति एकड़ है। इसी तरह रबी फसल बीमा के तहत दिसम्बर एवं अप्रैल माह के बीच मौसम में आने वाले उतार–चढ़ाव से बर्बाद होने वाली फसल के संबंध में सुरक्षा प्रदान की जाती है। गेहूं, आलू, सरसों, चना आदि फसलों का बीमा होने की स्थिति में किसानों को चार से छह हफ्ते में दावे का भुगतान कर दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

दरअसल सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं चलाए जाने के बाद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था क्योंकि किसानों को कई चरणों में पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए। ऐसे में वे अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोर का ब्याज नहीं चुका पाते थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक सर्वे कराया। सर्वे में यह बात सामने आई कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को फसलवार पैसा मिल सके, तो इसी हेतु सरकार ने 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने। पहली बार वर्ष 1998–99 में 607225 कार्ड जारी हुए।

देश की तकरीबन 70 फीसदी से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसलिए जब तक ग्रामीणों के जीवन–स्तर में

सुधार नहीं तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता और इस विकास हेतु किसानों का विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना किसानों का विकास हुए किसी देश का विकास नही हो सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसानों का समुचित विकास हो ताकि पूरे देश का विकास हो सके। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ा हुआ होता है। गांवों में रहने वाली आबादी में हर परिवार का कोई न कोई सदस्य खेती से जुड़ा होता है। यानी जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश के विकास का सपना अधूरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रारम्भ किया गया।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था "जब तक किसान खुशहाल नहीं होगे तब तक देश व समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। "नेहरूजी के इसी मंत्र को केन्द्र सरकार ने अपनाया तथा किसानों को समृद्ध बनाने हेतु "किसान क्रेडिट कार्ड योजना" शुरू की। इसके द्वारा किसानों को समय पर पैसा उपलब्ध हो रहा है और वे अन्यत्र कहीं से सूद पर पैसा लेने से बच रहे हैं। विगत कुछ समय से भारतीय किसान किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से आर्थिक सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से बैंकों पर आधारित यह योजना किसानों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इसका फायदा बड़े किसानों के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को भी भरपूर मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड ने न सिर्फ कृषि विकास को गति दी है बल्कि सामाजिक समस्या का भी खात्मा किया है। अब किसानों को न तो साहूकारों के जाल में फंसना पड़ता है और न ही पैसे के अभाव में उनकी फसल खराब होती है। वे समय पर फसल में न सिर्फ खाद–बीज की व्यवस्था कर लेते हैं बल्कि दूसरी आधारभूत जरुरतें भी पूरी करने में सफल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने योजना तैयार की और इसे वर्ष 1998 में लागू किया। इस योजना में किसानों को उनके खेत के रकबे के हिसाब से ऋण की राशि तय की गई। जिस किसान के पास जितनी जमीन होगी उसी हिसाब से ऋण सीमा निर्धारित कर दी गई है। किसान जब चाहे बैंक से पैसा लें और उसका उपयोग कृषि कार्य में करें। जैसे ही उसके पास पैसा आए वह ऋण खाते में पैसा जमा कर दें और ली गई राशि पर ब्याज से मुक्ति पा लें। किसान क्रेडिट कार्ड का मूल उद्देश्य भी यही था कि किसानों को बार–बार ऋण उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड में हर मौसम में मूल्यांकन की भी आवश्यकता नहीं है। किसान कोई भी पहचान–पत्र बैंकों को उपलब्ध कराकर अपनी फसल के लिए आवश्यक ऋण ले सकता है। किसान जितना ऋण लेता है, उसी पर उसे ब्याज देना पड़ता है। इस योजना के तहत किसान को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, पासपोर्ट आकार का फोटो लगा होता है। यह पासबुक लेनदेन के साथ ही पासपोर्ट का भी काम करती है। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन लाया गया है। कार्डधारक किसान की मृत्यु पर 50 हजार रुपये, स्थानीय पूर्ण अक्षमता पर 50 हजार रुपये, दो अंग या दोनों आंख या एक अंग तथा एक आंख के खो जाने पर 50 हजार रुपये, अस्थायी विकलांगता पर 25 हजार रुपये, की वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा दी जाती है।

रिजर्व बैंक और नाबार्ड की पहल से आया किसान क्रेडिट कार्ड

आज हर किसान के हाथ में जो कार्ड है उसकी पहल भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से की थी। इसके द्वारा किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना के द्वारा किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिए अलग–अलग आवेदन करने की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब एक बार जोतबही के आधार पर तैयार किए गए कार्ड से वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है। वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाएं और आवेदन कर दें। किसानों को पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाता है, जो पहचान–पत्र का भी काम करता है। खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड–सह–पासबुक दिखानी होती है। इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 10 हजार तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं दी जाती है लेकिन जो किसान 25 हजार से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 फीसदी तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसान खरीफ एवं रबी सीजन में 50 हजार तक का ऋण ले सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा हो रहे हैं समाज में महत्वपूर्ण बदलाव

किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि

गांवों से सूदखोरी प्रथा खत्म हो गई है। चूंकि पैसे के अभाव में किसान गांवों में रहने वाले साहूकार पर आश्रित रहता था। खेती के लिए वह यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था। इसी तरह खाद, बीज के व्यापारी भी मुंहमांगी कीमत वसूलते थे। फिर भी किसान उनसे खाद, बीज खरीदने को विवश होता था। इसका असर यह होता था कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसान जो उपज पैदा करता था, वह साहूकारों को कर्ज चुकाने भर होती थी। कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज नहीं उतर पाता, ऐसे में किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को विवश हो जाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने के बाद किसान अपनी पसंद का बीज खरीदते हैं और अपने हिसाब से खाद डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से जहां उन्हें सस्ती दर पर ऋण मिल जाता है वहीं इसकी अदायगी में किसी तरह का झंझट नहीं रहता है। यह एक तरह से सामाजिक क्रांति जैसा है। यह बात खुद किसान स्वीकार करते हैं। किसानों का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड में दी गई सहूलियतों की वजह से उनकी कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण हो गया है।

किसानों को सस्ती दर पर ऋण

सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मुहैया कराया जाए। यही वजह है कि मौजूदा बजट में किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मुहैया करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में ज्यादातर खेतिहर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे हैं। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले ऋण पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज लेने का फैसला ऐतिहासिक है। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। अभी तक किसी भी योजना में इतनी सस्ती दर पर ऋण देने का प्रावधान नहीं है। किसानों की माने तो सरकार के इस कदम से उन्हें बहुत राहत मिली है।

'नाबार्ड'

ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत व तीव्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण ऋण की व्यवस्था के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड का कृषि तथा संबंधित गतिविधियों के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने, वाणिज्यिक, सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त व वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा संस्थागत ऋण व्यवस्था का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। इस संस्थान के कंधों पर सहकारी ऋण संस्थाओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की निगरानी की जिम्मेदारी भी है।

नाबार्ड के प्रमुख कार्य

कृषि और ग्रामीण कार्यों और कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ऋण जरूरतों के पुनर्वित्त से जुड़े एक शीर्ष बैंक के रूप में 'नाबार्ड' भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कुछ पर्यवेक्षी कार्यों को कर रहा है।

राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का और स्वैच्छिक आधार पर शीर्ष गैर–ऋण सहकारी समितियों का निरीक्षण करता है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों की परोक्ष निगरानी के अलावा पोर्टफोलियो निरीक्षण, सिस्टम अध्ययन का कार्य करता है।

सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें देता है।

राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में ऋण निगरानी व्यवस्था का प्रबंध करता है।

वर्तमान कार्य स्वरूप

संशोधित नीति के तहत, नाबार्ड के निरीक्षण में पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय तरलता, प्रणाली और अनुपालन (सीएएमईएलएससी) से संबंधित बैंकों के कामकाज के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। इस प्रकार अपने सांविधिक 'ऑन साइट' निरीक्षण में नाबार्ड का ध्यान कोर आकलन पर है और संपार्श्विक आकलन बैंकों के जिम्मे हैं। आंतरिक निरीक्षणों के माध्यम से या लेखा परीक्षकों जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा सूक्ष्म स्तर पहलुओं का ध्यान स्वयं रखा जाना है। इस दिशा में सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और मुख्य लेखा परीक्षकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं और बैठकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से आंतरिक जांच और नियंत्रण, ऋण और अग्रिमों पर ब्याज, निवेश और अन्य माध्यमों से राजस्व और आय प्राप्ति तथा सामान्य बैंकिंग लेनदेन करने की रोजमर्रा की सुविधाओं का बैंकों और उनकी संगामी/सांविधिक लेखा परीक्षण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से ध्यान रखा गया था।

विकास कार्य

स्वयंसहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम– वर्ष 2011–12 के दौरान बचत खातों के रूप में बैंकिंग प्रणाली से जोड़े गए स्वयंसहायता समूहों की कुल संख्या 79.60 लाख हो चुकी है, जिसमें 43.54 लाख स्वयंसहायता समूह क्रेडिट लिंक्ड हैं।

स्वयंसहायता समूहों की कुल बचत 6,55,141 करोड़ रुपये हो चुकी है।

संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)– छोटे और सीमांत किसानों और अन्य सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के क्रम में 1.28 लाख संयुक्त देयता समूह संवर्धित किए गए और इस तरह संयुक्त देयता समूहों की संचयी स्थिति 4.61 लाख से अधिक हो चुकी है।

कृषक क्लब– वर्ष 2012–13 में नाबार्ड की सहायता से विभिन्न एजेंसियों द्वारा 24,802 नए कृषक क्लब शुरू किए गए। इस तरह 31 मार्च, 2013 को ऐसे क्लबों की संख्या बढ़कर 1.27 लाख के आसपास हो गई है।

वित्तीय समावेशन– वर्ष 2012–13 के दौरान वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) के तहत संवितरण क्रमशः 33.31 करोड़ और 17.14 करोड़ रहे। इसके साथ स्थापना के बाद से एफआईएफ के तहत संचयी वितरण 69.77 करोड़ हुए तथा एफआईटीएफ के तहत 201.30 करोड़ हुए। वित्तीय समावेशन निधि के तहत अग्रणी बैंकों को 256 वंचित जिलों और 10 अशांत जिलों में वित्तीय सहायता और ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) की स्थापना के लिए, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा क्षमता निर्माण के लिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरुकता शिविरों के लिए सहायता दी गई।

2012–13 के दौरान शुरू की गई पायलट परियोजनाएं– वर्ष 2012–13 के दौरान नाबार्ड द्वारा नवोन्मेषी प्रयासों से कई पायलट परियोजनाएं शुरू की गई। उनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए सक्षम बनाना, माइक्रो पेंशन मॉडल, स्वयंसहायता समूहों के लिए मोबाइल आधारित लेखांकन प्रणाली, स्वयंसहायता समूहों के लिए टैबलेट पीसी आधारित लेखांकन प्रणाली, वाटरशेडों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजना आदि थी।

वाटरशेड विकास

वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड की कुल प्रतिबद्धता बढ़कर 1686 करोड़ हो गई, जिसमें 1.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के तहत 306.36 करोड़ की कुल प्रतिबद्धता के साथ 29 वाटरशेड परियोजनाएं मंजूर की गई। वर्ष 2012–13 के दौरान आपदाग्रस्त जिलों में प्रधानमंत्री कार्यक्रम के तहत 230.56 करोड़ रु. का वितरण किया गया। केएफडब्ल्यू के सहायता प्राप्त इंडो–जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत (आईजीडबल्यूडीपी) 29.38 करोड़ की राशि वितरित की गई। 31 मार्च, 2013 को योजना द्वारा वित्तपोषित बिहार में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत संचयी वितरण 54.54 करोड़ रुपये था।

आदिवासी विकास

वर्ष 2012–13 के दौरान 69 परियोजनाओं के लिए 224.26 करोड़ की सहायता मंजूर की गई थी, जिससे 53700 आदिवासी परिवारों को लाभ हुआ। 26 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में 484 परियोजनाओं के लिए संचयी मंजूरी 1432 करोड़ रही, जिससे 3.80 लाख आदिवासी परिवारों को लाभ मिला जिन्हें नाबार्ड के आदिवासी विकास फंड से सहायता प्रदान की गई थी।

संवर्धनात्मक गतिविधियां

वर्ष 2012–13 के दौरान नाबार्ड ने ग्रामीण कारीगरों के लिए 10 प्रदर्शनियों और मेलों के संचालन के लिए एक करोड़ की अनुदान सहायता जारी की। इसके अलावा वर्ष के दौरान 334 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों/कौशल उन्नयन कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जिससे ग्रामीण युवाओं को लाभ मिला और इसमें 5.03 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूरी शामिल है। इससे 7.16 लाख ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए ऐसे 28045 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए संचयी अनुदान सहायता 101.35 करोड़ हो गई।

ग्रामीण नवोन्मेष

वर्ष 2005 से नाबार्ड अपनी ग्रामीण नवोन्मेष निधि से ग्रामीण गरीब को ध्यान में रखते हुए देशभर में नवोन्मेषों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण नवोन्मेषों को सहायता दे रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान 90 नवोन्मेषी परियोजनाएं मंजूर की गई, जिससे मंजूर की गई नवोन्मेषी परियेाजनाओं की संचयी संख्या बढ़कर 571 हो गई। वर्ष 2012–13 के दौरान 15.27 करोड़ की राशि वितरित की गई जिससे 31 मार्च, 2013 तक संचयी संवितरण 58.36 करोड़ हो गए। नाबार्ड ने भारत के विकास की कहानी के साथ 30 वर्ष के अपने सहयोग के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में ग्रामीण नवोन्मेष पुरस्कार की स्थापना की।

संस्थागत विकास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सभी 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएल लागू किया गया। इसके अलावा 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2015.86 करोड़ की पुर्नपूंजीकरण सहायता जारी की गई। नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के साथ समन्वय किया और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के अलावा चयन प्रक्रिया के समन्वयक और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी।

(पी.एच.डी. शोधार्थी, इतिहास विभाग,
ल.ना.मि. वि.वि., दरभंगा)
ई–मेल : sonikumari4284@gmail.com

प्रधानमंत्री जनधन योजना की चुनौतियां

सतीश सिंह

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेशन वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय इस योजना की प्रगति की देखरेख कर रहा है। अब तक इसके तहत 5.29 करोड़ खाते खोले गए हैं। साथ ही, 1.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 26 जनवरी, 2015 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। इस आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में 3.12 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में खोले गए 2.17 करोड़ खातों को ग्राहक के बायोमैट्रिक ब्योरे के साथ जोड़े जाने की योजना है, ताकि धोखे से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेशन वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। सरकार इसकी मदद से गरीबों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, क्योंकि फिलवक्त गरीब आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो महाजन, सूदखोर, साहूकार आदि की शरण लेता है या फिर किसी चिटफंड कंपनी की। वित्त मंत्रालय इस योजना की प्रगति की देखरेख कर रहा है। अब तक इसके तहत 5.29 करोड़ खाते खोले गए हैं। साथ ही, 1.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने 26 जनवरी, 2015 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। इस आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में 3.12 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में खोले गए 2.17 करोड़ खातों को ग्राहक के बायोमैट्रिक ब्योरे के साथ जोड़े जाने की योजना है, ताकि धोखे से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।

इस संदर्भ में वर्तमान खाताधारकों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, पर बनी ऊहापोह की स्थिति को साफ करते हुए कहा गया है कि वर्तमान खाताधारकों को भी उक्त योजना का लाभ मिलेगा। अतः ऐसे ग्राहकों को अलग से नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। सरकार ने निर्धारित समय–सीमा के भीतर इस योजना को लागू कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंकों को ताकीद किया है। बैंकों से कहा गया है कि वे रुपे कार्ड जारी करने की अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करें और अन्य संबंधित लंबित मामलों को तेजी से निपटाएं।

अस्तु, बैंकों ने वैसे परिवारों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में हरियाणा एवं महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि चुनाव के कारण इन राज्यों में सर्वेक्षण का काम कराना फिलहाल संभव नहीं है।

क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजना मूल रूप से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जिसके तहत वित्तीय सेवाओं मसलन बचत खाता खोलने से लेकर धन अंतरण, ऋण, पेंशन, बीमा आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो यह योजना पूर्व की "स्वाभिमान" नामक वित्तीय समावेशन योजना का परिवर्धित रूप है। इस

योजना को दो चरणों में पूरा किया जाना है। प्रथम चरण, जिसकी अवधि 15.08.14 से 14.08.15 है, के दौरान बैंकिंग सुविधा से वंचित सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, खाते के संतोषप्रद संचालन के उपरांत 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा देना, एक लाख का दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर देना, रुपे डेबिट कार्ड मुहैया कराना, जागरुकता अभियान चलाना आदि कार्य किए जाने हैं।

दूसरे चरण में 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि के डूबने पर, बैंक का नुकसान कम करने के लिए "क्रेडिट गारंटी फंड" का सृजन सरकार के द्वारा करना, सूक्ष्म बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, असंगठित किसानों को सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिये "स्वावलंबन" पेंशन योजना का शुभारंभ, पहाड़ी इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को बैंक से जोड़ने आदि से संबंधित काम किए जाएंगे।

क्यों आवश्यक है वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना सरकार का काफी पुराना लक्ष्य है। इसकी मदद से सरकार अपने सामाजिक व आर्थिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। भारत एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश है। इसलिए गरीबों को बुनियादी सुविधाएं एवं जीवनयापन के लिए आवश्यक तंत्रों को मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्हें भगवान भरोसे सरकार नहीं छोड़ सकती है। गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें बैंक से जोड़ना आवश्यक है। बैंक के माध्यम से ही गरीबों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

पूर्व में किए गए प्रयास

वित्तीय समावेशन के सपने को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम था। बैंकों का विस्तार, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि की शुरुआत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। बाद में लीड बैंक, स्वसहायता समूह (एसएचजी), सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजना और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) का आगाज भी वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने के लिए किया गया।

पहले की "स्वाभिमान" योजना से बेहतर

प्रधानमंत्री जनधन योजना को पहले की "स्वाभिमान" वित्तीय समावेशन की योजना से बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत देश के प्रत्येक परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान है। इस योजना को लागू करने के लिए कारोबारी प्रतिनिधि की भूमिका को प्रभावशाली बनाने का प्रस्ताव है। उन्हें इसके लिए न्यूनतम 5000 रुपये पगार के तौर पर दिए जाने की योजना है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। अब कारोबारी प्रतिनिधि एक निर्धारित स्थान पर निश्चित कार्यावधि तक उपस्थित रहकर ग्रामीणों की मदद करेंगे। इसके लिए केवाईसी नियमों को भी सरल बनाया गया है। बैंक ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान भी चलाएंगे। योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य व जिला–स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना की चुनौतियां

2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 24.67 करोड़ घरों में से 14.18 करोड़ (58.7 प्रतिशत) घर बैंकिंग सुविधा का लाभ ले रहे थे, जबकि 16.78 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.14 करोड़ (54.46 प्रतिशत) घर बैंकिंग सेवाओं का उपभोग कर रहे थे, वहीं 7.89 करोड़ शहरी घरों में से 5.34 करोड़ (67.68:) घर की पहुँच बैंकिंग सेवा तक थी। वर्ष, 2011 में बैंकों ने 2000 (2001 जनगणना के अनुसार) आबादी वाले 74351 गाँवों को कारोबारी प्रतिनिधियों की मदद से बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई थी। इस परिभाषा में बदलाव करते हुए गांवों में अब 1000–1500 परिवारों को एक निर्धारित स्थल पर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसे सब–सर्विस के नाम से जाना जाएगा।

31.05.14 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को 13.14 करोड़ घरों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिये कहा गया था, जिसमें से 7.22 करोड़ घरों को ही उन्होंने यह सुविधा मुहैया कराई और 5.92 करोड़ घरों को बैंकिंग तंत्र से जोड़ना शेष रह गया। एक अनुमान के मुताबिक फिलवक्त बैंकों को 6 करोड़ ग्रामीण इलाकों के घरों और 1.5 करोड़ शहरी क्षेत्र के घरों से जोड़ना है।

सपने होंगे साकार

नालंदा जिले के हिलसा थाना के अंतर्गत ग्राम पखनपुर, जो बीते महीनों सड़क मार्ग से जुड़ा है, लेकिन अभी भी वहां बिजली एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, के निवासी अरविंद महत्तो, जो कम पढ़े–लिखे हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की हिलसा शाखा में बचत खाता खुलवाकर खुश हैं। विगत कई वर्षों से बैंक में खाता नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भूमिहीन किसान होने के कारण पैसों के लिए उन्हें अक्सर महाजन की शरण लेनी पड़ती थी। गौरतलब है कि ग्रामीण इलाकों में महाजन अत्यधिक ब्याज पर कर्ज देने का काम करते हैं। कर्ज नहीं लौटाने पर वे लठैत या असामाजिक तत्वों की मदद से किसानों के खेत एवं घर को अपने कब्जे में कर लेते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक का कारोबारी प्रतिनिधि अरविंद महतो के गांव का ही रहने वाला है। उसने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने से उन्हें निम्न लाभ मिल सकता है–

- योजना के तहत खोले गए खातों में न्यूनतम शेष रखने की आवश्यकता नहीं है।
- एटीएम सह रुपे डेबिट कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा, जो सभी एटीमएम (नकद आहरण हेतु) और पीओएस मशीनों पर (खरीद के लिये) स्वीकार्य होगा।
- रुपे कार्ड में एक लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा कवर अंतर्निहित है, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 45 दिनों के अंदर डेबिट कार्ड का एक बार उपयोग करना होगा।
- सभी खाताधारकों को 30000 रुपये जीवन बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी।
- डेबिट कार्ड के छह महीनों के संतोषप्रद संचालन के बाद 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में 2500 रुपये और दूसरे चरण में 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। इस आलोक में खाते के दोहरीकरण से बचने के लिए उसे आधार कार्ड से जोड़ा गया है, लेकिन आधार कार्ड नहीं रहने पर भी किसी को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। आधारकार्ड नहीं रहने पर बैंक लाभार्थी से स्व–अभिप्रमाणित घोषणापत्र प्राप्त करके उन्हें यह लाभ मुहैया कराएंगे।
- इस योजना के साथ असंगठित किसानों व मजदूरों के लिए स्वावलंबन पेंशन योजना शुरू की गई है।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में भी निबंधित मोबाईल नंबर पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा दी जाएगी।
- देशभर में धन अंतरण की सुविधा।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। इस क्रम में सरकार कैरोसिन तेल, एलपीजी, सब्सिडी एवं अन्य सुविधाएं, जैसे, मनरेगा की मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेगी।

जाहिर है अरविंद महतो के लिए इन सुविधाओं का मिलना किसी सपने से कम नहीं है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दिन कभी इस तरह से बदलेंगे। बहरहाल, वे और उनका परिवार बहुत खुश है।

पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में बाई का काम करने वाली राधा की कहानी भी ऐसी ही है। पति माली का काम करता है। दो बेटी हैं जो एक सरकारी स्कूल में तीसरी एवं पांचवीं कक्षा की छात्रा है। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे अक्सर कर्ज का सहारा लेना पड़ता था। बैंक में खाता नहीं होने की वजह से नकद पैसे घर में रखने पड़ते थे। एक–दो बार उसके पैसे चोरी भी हो गए थे। लिहाजा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाकर वह बहुत खुश है। एक तो उसे अब घर पर नकद पैसे रखने की जरूरत नहीं होगी, दूसरे अत्यधिक ब्याज पर कर्ज लेने की बजाए वह बैंक से कम ब्याज पर कर्ज ले सकेगी। बेटी भी रुपे डेबिट कार्ड मिलने से बेहद खुश है। वह मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का भी मजा ले रही है। साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ उसके खाते में सीधे हस्तांतरित हो जाएगा। यह जानकर उसका पूरा परिवार रोमांचित है।

31 मार्च, 2014 को देशभर में 1,15,055 बैंक शाखाओं और 1,60,055 एटीएम का नेटवर्क था, जिसमें से 43,962 (38.2%) शाखाएं और 23,334 (14.58%) एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में थे। उल्लेखनीय है कि "स्वाभिमान" वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1.40 लाख कारोबारी प्रतिनिधि ग्रामीण इलाकों में कार्यरत थे, लेकिन अब अधिकांश कारोबारी प्रतिनिधियों ने या तो अपना काम छोड़ दिया है या उसे करने के लिए लालायित नहीं हैं, क्योंकि उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इतनी कम है कि वे उसमें अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूरा किया जाना है। लिहाजा, इसे समय पर लागू करने के लिए और भी कारोबारी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है, ताकि वे अपना कार्य ईमानदारी से करें। सच कहा जाए तो इस योजना को कार्यान्वित करने का पूरा दारोमदार इन्हीं पर है। मौजूदा समय में बैंकरहित इलाकों में कारोबारी प्रतिनिधि ही ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं।

कृषि वित्त प्रबंधन में मददगार

मोटे तौर पर किसान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अलावा नकद प्रबंधन को लेकर चिंतित रहते हैं। अक्सर किसानों के घर से नकदी की चोरी हो जाती है या उनके परिवार के पुरुष सदस्य शराब में पैसे उड़ा देते हैं। पशु, खाद व बीज खरीदने के लिए किसान को अक्सर गांव के पास के बाजार या दूसरे शहर जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पैसों के गुम होने का खतरा रहता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के लागू होने से किसानों को रुपे किसान कार्ड, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, दुर्घटना व जीवन बीमा कवर, पेंशन आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही, बैंक खाता खुलने

से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरे कर्ज एवं सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधि सक्रिय एवं सरल हो सकेगी। साथ ही, वे अपना अर्थ प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रासंगिकता

इसमें दो मत नहीं है कि यह एक कल्याणकारी योजना है, जिसका लाभ आम आदमी एवं सरकार दोनों को मिलना निश्चित है। साथ ही, इसकी मदद से समाज में व्याप्त बहुत सारी विसंगतियों को भी दूर किया जा सकेगा। मौजूदा समय में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान योजना का बढ़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। चूंकि, इस योजना को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिसका आधार बायोमेट्रिक है। इसलिए इससे धोखेबाजी की संभावना भी कम होगी।

अनेक खूबियों से युक्त होने के बावजूद योजना में अंतर्निहित कमियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। पहली समस्या तो खुल रहे खातों के दोहरीकरण की है। भले ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जाने वाले खातों हेतु केवाईसी के नियम को सरल बनाया गया है। फिर भी, बैंककर्मियों द्वारा इस संबंध में सावधानी बरते जाने की जरुरत है। ग्राहक की सही पहचान के अभाव में हवाला को बढ़ावा मिल सकता है। बैंक–स्तर पर हुई लापरवाही कालेधन को सफेद करने का साधन बन सकती है। ऐसा माहौल, आतंकवादियों के लिए भी मुफीद हो सकता है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस संबंध में अपनी चिंता जताई है।

चुनौती खुले खातों में नियमित लेन–देन सुनिश्चित करने की भी है। गौरतलब है कि वित्तीय समावेशन के तहत खोले गए बहुत सारे खातों में आज परिचालन नहीं हो रहा है। अधिकांश खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। बैंकों के लिए इन खातों में परिचालन सुनिश्चित करना एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा, शून्य बैलेंस के साथ खोले खातों में सुचारु सेवा को सुनिश्चित करना, बैंकों के परिचालन खर्च में हुए इजाफे की प्रतिपूर्ति, कारोबारी प्रतिनिधियों के वेतन की व्यवस्था, बैंक की तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी एवं समय–समय पर उसका नवीनीकरण, मानव संसाधन की किल्लत, जॉब नॉलेज को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि ऐसे कार्य हैं, जिन पर विजय प्राप्त करना सरकारी बैंकों के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी यह मानने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि तमाम खामियों के बाद भी प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रासंगिकता को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

लब्बोलुबाव के रूप में कहा जा सकता है कि इस योजना के लागू होने से देश की आबादी का एक बड़ा तबका, जिसमें किसान भी शामिल हैं, लाभान्वित होंगे, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि इस योजना को लागू कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा तंत्र (सरकारी बैंक) आज भी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। वर्तमान में जिस अनुपात में सरकारी बैंकों से अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उस अनुपात में नये अधिकारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। इस योजना को लागू करने में कारोबारी प्रतिनिधि सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना को सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए लगभग 5 लाख कारोबारी प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिन्हें वेतन देने की व्यवस्था, बढ़े परिचालन खर्च का इंतजाम आदि की व्यवस्था कहां से की जाएगी, का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। बता दें कि बैंकों का एनपीए स्तर मार्च, 2014 में 2.63 लाख करोड़ था। इसके अलावा, सरकारी बैंकों को बासेल तृतीय के मानकों को पूरा करने के लिए भी भारी–भरकम पूंजी की जरूरत है, जिसका इंतजाम करने में सरकारी बैंक एवं सरकार दोनों असमर्थ हैं। इस बाबत सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार पूंजी इकठ्ठा करना चाहती है, लेकिन इस कवायद से बैंकों की पूंजी की समस्या का समाधान होगा, संदेह है। इस पड़ताल से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के फायदे अनेक हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी पूंजी की है, को दूर करने की आवश्यकता है, तभी इस योजना को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने से देश का आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य बेहतर होगा, जिससे रोजगार सृजन, महंगाई व मंदी पर नियंत्रण एवं विकास को गति मिलेगी।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी हैं।)
ई–मेल : satish5249@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

सांसद आदर्श ग्राम योजना
बदलेगी गांवों की तस्वीर

प्रोफेसर रणबीर सिंह

भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने औपनिवेशिक काल के दौरान भी देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की जरूरत को समझ लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह दृढ़ मान्यता थी कि यदि भारत के गांव समाप्त हो जाते हैं तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने न केवल ग्राम स्वराज को समर्थन दिया बल्कि ग्रामीण विकास को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाया। वर्धा प्रयोग इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। रविन्द्रनाथ टेगौर के भी यही विचार थे और उन्होंने इसी प्रयोजनार्थ श्रीनिकेतन परियोजना शुरू की थी। परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. वी.आर. अम्बेडकर ने उनकी इस विचारधारा को महत्व नहीं दिया इसलिए भारतीय संविधान के प्रारूप में 'पंचायती राज' शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया था। हालांकि उन्हें के. संथानम जैसे गांधीवादियों के जोरदार दबाव के कारण राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में इसे शामिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

वस्तुतः यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता ही थी जिससे नेहरू जी को यह एहसास हुआ कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज के बिना ग्रामीण विकास संभव ही नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य प्रशासक एस.के.डे. ही थे जो नेहरूजी की सोच में यह परिवर्तन लाए। डे ने ग्रामीण विकास के लिए नीलोखेड़ी प्रयोग भी शुरू किया था। उन्होंने इस कृषि औद्योगिक कस्बे को एक नोडल केन्द्र बनाया जिससे आसपास के गांवों का विकास किया जा सके। यह अलग बात है कि यह प्रयोग बाद में राज्य और केन्द्र सरकारों की ओर से प्रतिबद्धता के अभाव के कारण असफल हो गया। बाद में 1960 के दशक में केन्द्रीकृत गांवों की आदर्श गांवों के रूप में पहचान की गई। तथापि यह प्रयोग राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण सफल नहीं हुआ। एन एस एस योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इस पहल को भी खास सफलता नहीं मिल पाई चूंकि इस योजना को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों में प्रतिबद्धता का अभाव था। ऐसे प्रयोग केन्द्रीय और राज्य–स्तर पर 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक और वर्तमान शताब्दी में किए गए। वर्ष 2008 में मायावती के शासनकाल में संशोधित अम्बेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दलित बहुसंख्य गांवों में स्कीमों को मिलाना था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2010 में 50 प्रतिशत से अधिक दलित आबादी वाले 44,000 गांवों में शुरू की गई थी। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की जगह राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना शुरू की। ये सभी कार्यक्रम एजेंसियों में ईमानदारी

ऐसे होंगे 'सांसद आदर्श ग्राम'

आदर्श गांव का पैमाना

सांसद आदर्श ग्रामों में बुनियादी विकास कुछ ऐसे होंगे कि यह दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। एक आदर्श ग्राम के शिक्षक और ट्रेनर दूसरे आदर्श ग्राम को विकसित करने में मदद करेंगे। ग्रामों में सामूहिक गतिविधि एवं स्थानीय नेतृत्व को उभारने के मकसद से शुरू हो रही इस योजना के आदर्श महात्मा गांधी हैं। आदर्श ग्रामों को विकास के लिए व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और गुड गवर्नेंस जैसे आठ हिस्सों में बांटा गया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत विकास के तहत इन गांवों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना, व्यायाम और खेल की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के साथ शराब, धूम्रपान और बुरी आदतों में कमी का प्रयास होगा।

समग्र विकास पर जोर

आर्थिक विकास के लिए जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा। गांवों में बीज बैंक के अलावा गोबर बैंक, पशुओं के लिए अस्पताल समेत कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना होगी। जरूरी सुविधाओं के हिसाब से सभी घरों को पीने के लिए सप्लाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी घरों और सार्वजनिक स्थलों पर टायलेट बनाए जाएंगे। सड़कों के किनारे ढके नालों की व्यवस्था की जाएगी। सभी घरों में बिजली की व्यवस्था के साथ सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे।

विश्वस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाएं

विश्वस्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें हेल्थ कार्ड से लेकर स्वास्थ्य जांच की पूरी व्यवस्था होगी। पूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात की समानता, सौ प्रतिशत सुरक्षित प्रसव, दसवीं तक की शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय साधन विकसित किए जाएंगे।

सूचना तकनीकी से लैस स्कूल

स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा। इनके क्लासरूम पूरी तरह सूचना तकनीकी से लैस होंगे, वेब आधारित शिक्षा व्यवस्था के साथ ई–लाइब्रेरी, प्रौढ़ शिक्षा, ई–शिक्षा और हर ग्राम में लाइब्रेरी विकसित की जाएगी।

बैंक, पोस्ट ऑफिस से लेकर एटीएम तक

गांवों में बाजार, जन वितरण दुकानें, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, ब्राडबैंड कनेक्टिविटी होगी। यूआईडी कार्ड के अलावा सभी ग्रामसभाएं ई–गवर्नेंस वेब से जुड़ी होंगी। सभी सेवाएं निर्धारित समय में पूरी की जाएंगी। इन गांवों में गुड गवर्नेंस की झलक साफ दिखाई देगी।

सभी का होगा स्वास्थ्य बीमा

गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, आम आदमी बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस समेत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे तथा जल संचयन के तमाम साधन विकसित किए जाएंगे।

एवं निष्ठा के अभाव के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे।

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 11 अक्तूबर, 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयन्ती की पूर्व संध्या पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। इस योजना को उनकी जयंती के दिन इसीलिए शुरू किया गया चूंकि लोकनायक की ग्रामीण विकास की गांधीवादी विचारधारा में गहरी प्रतिबद्धता थी जिसके अनुसार भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांवों का एक राष्ट्र बनने का सामर्थ्य रखता है।

इस योजना में यह अनुबन्धित है कि संसद के प्रत्येक सदस्य/सांसद को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को

करेंगे।" (दि हिन्दू, नोएडा/दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2014, पृष्ठ 6)।

निसंदेह रूप से सांसद आदर्श ग्राम योजना का अन्य ग्रामीण विकास स्कीमों/योजनाओं में समामेलन और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्वागतयोग्य कदम हैं। राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदान की गई तन्त्र-प्रणाली की मॉनटिरिंग भी मोदी सरकार की इस नई पहल के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तथापि निम्नलिखित कदम भी उपर्युक्त संदर्भ में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

- सांसदों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामसभा और ग्राम पंचायत संस्थाओं को भी शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें सही अर्थों में भागीदार बनाया जा सके।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद को राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माता कार्य शुरू करना चाहिए।
- राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एस आई आर डी) को ग्राम पंचायतों के सदस्यों और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा जा सकता है जिनके इस योजना के कार्यान्वयन से अधिक जुड़े रहने की संभावना है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना को महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर इसे सही अर्थों में समावेशी प्रकृति का बनाया जाना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत चुने गए गांवों की वार्षिक विकास योजनाओं को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और जिला योजना समितियों की वार्षिक योजना का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एस आई आर डी को इन गांवों की ग्राम-सभाओं में विशेष जागरुकता अभियान चलाने चाहिए।

सांसदों, जिला प्रशासन अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं तकनीकीविदों और सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों समेत हितधारकों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

गोद लेना होगा और उसे एक वर्ष के भीतर आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होगा। लोकसभा का सदस्य मैदानी क्षेत्रों में 3,000–5000 और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000–3000 की आबादी वाले किसी भी गांव का चयन कर सकता है। राज्यसभा का सदस्य उस राज्य जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, के किसी भी गांव को चुन सकता है। तथापि, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपने गांव या अपने पति/पत्नी से संबंधित गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। बाद में वे इस प्रयोजन के लिए दो और गांवों का चयन करेंगे। इस तरह से वर्ष 2019 तक कई हजार गांवों का चयन होगा। इस उद्देश्य के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना (MPLADS) को केन्द्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में मिला दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गड्करी के अनुसार "सांसदों से ग्राम विकास योजना में मदद करने, कार्यकलापों को शुरू करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने और फंड की कमी को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की सांसद निधि इस्तेमाल करने की उम्मीद है। साथ ही अतिरिक्त संसाधनों से भी खासतौर से मल-व्ययन और जल आपूर्ति योजनाओं में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के जरिए फंड उपलब्ध कराया जा सकता है।

उनके अनुसार "इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। पहली समीक्षा किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा पांच महीने के पश्चात् की जाएगी। जिलाधीश बेसलाईन सर्वे करेंगे और उसके बाद इसकी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें की जाएंगी। राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव इसी पर एक अधिकार-प्राप्त समिति का नेतृत्व करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्री और ग्रामीण विकास सचिव, राष्ट्रीय-स्तर की समिति के अध्यक्ष के रूप में इस योजना की निगरानी

(लेखक संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं शैक्षिक कार्य, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हैं।)
(अनुवाद : श्री गुरबचन सिंह बब्बर)

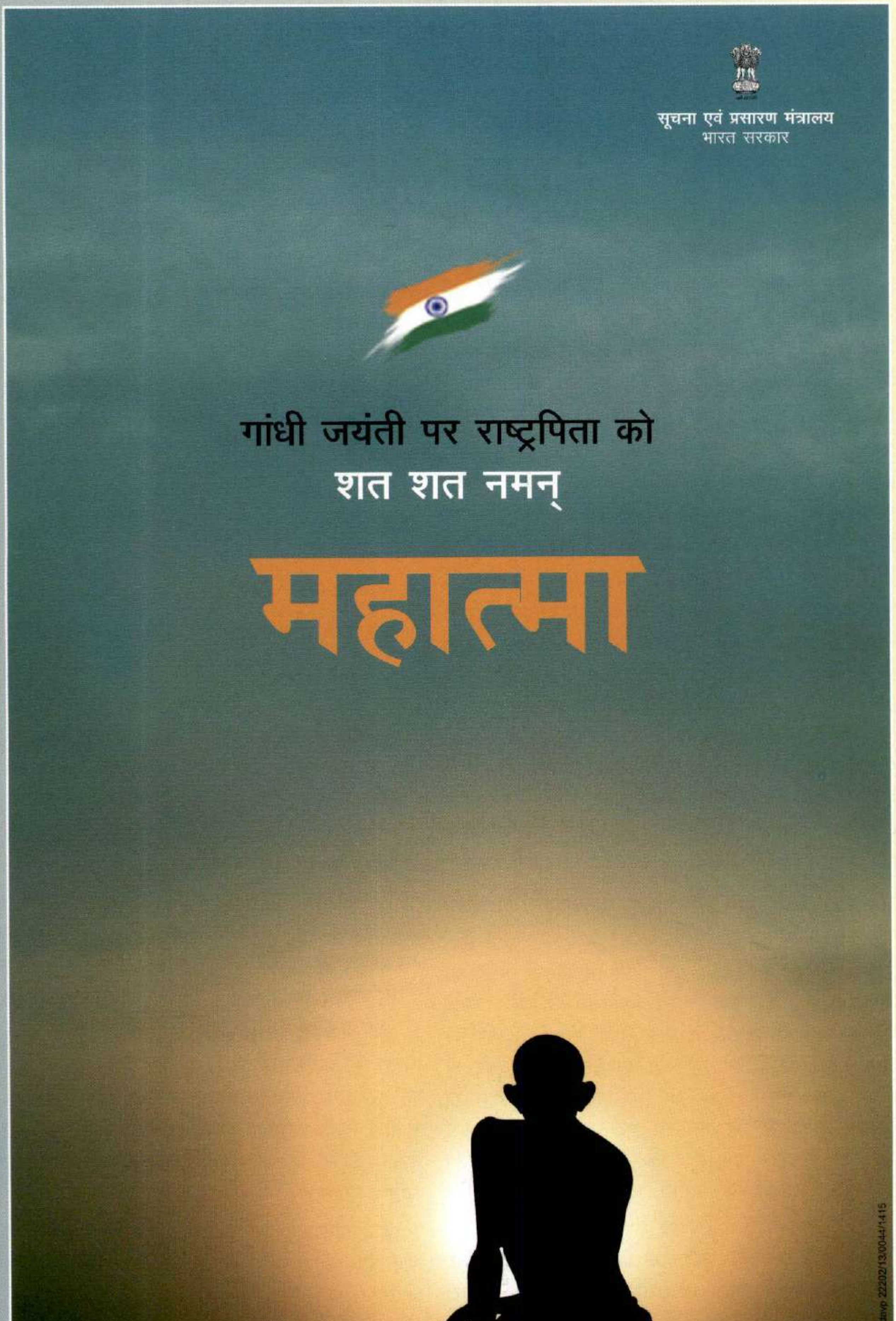

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को
शत शत नमन्
महात्मा
davp 22202/13/0044/1415

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2014 को इस संदर्भ में घोषणा की थी 11 अक्तूबर, 2014 को इसे अमतीजामा पहना दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी राजनीति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने सभी सांसदों से विकास के लिए एक–एक गांव का चयन करने का आग्रह किया और कहा कि ये विकास आपूर्ति पर आधारित मॉडल के बजाय मांग और जरूरत तथा जनता की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की तीन अनूठी विशेषताएं होनी चाहिए। यह मांग पर आधारित हो, समाज द्व ारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए।

योजना के दिशा–निर्देश जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए काम किया है। इन प्रयासों में समय के साथ संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विश्व में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप आगे बढ़ा जा सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों के नेतृत्व में काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि 2016 तक प्रत्येक सांसद एक–एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में 2019 तक दो और गांवों का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी विधायकों को इस योजना के लिए काम करने को प्रोत्साहित करें तो इसी समय सीमा में 5 से 6 और गांवों को विकसित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव विकसित किया जाता है तो इसका ब्लॉक के अन्य गांवों पर अनुकूल असर पड़ेगा।

"स्वच्छ भारत" के लिए ऑनलाइन सामुदायिक नेटवर्किंग शुरू

"स्वच्छ भारत मिशन" को एक "जन आन्दोलन" बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया है ताकि सामूहिक तौर पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने में नागरिकों का एक नेटवर्क विकसित हो सके। इस दिशा में यह मंत्रालय एक सामुदायिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म– 'LocalCircles' की मदद ले रहा है। "स्वच्छ भारत" नामक एक राष्ट्रीय नेटवर्क शुरू किया गया है और इसमें 1,70,000 नागरिक जुड़ चुके हैं।

इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिक आसानी से एक साथ आकर स्वच्छता के बारे में अपने विचारों का आदान–प्रदान करके अपने आसपास स्वच्छता संबंधी समुचित गतिविधियां चला सकते हैं और सामूहिक प्रयासों से संबंधित तस्वीरों को साझा करने के साथ–साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान को आगे ले जा सकते हैं। "स्वच्छ भारत" नामक राष्ट्रीय नेटवर्क के बल पर इसके भागीदार इसे लागू करने की श्रेष्ठ परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा, यह कचरा संग्रह करने और उसका निपटारा करने, नागरिक चेतना को बढ़ावा देने और आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने जैसे मुद्दों पर नियमित रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों को सुविचारित और सामूहिक विवरण उपलब्ध कराने में भी सक्षम बनाता है।

"स्वच्छ भारत" नेटवर्क तक पहुंच कायम करने के लिए नागरिक 'http://www.localcircles.com' पर लॉगऑन कर सकते हैं और INVITE code-SWACHHBHARAT का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पांच साल में बनाए जाएंगे 11 करोड़ शौचालय

खुले में शौच की समस्या से पांच साल में पूरी तरह निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को एक जन–आंदोलन में तब्दील किया जाएगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नीतिन गडकरी ने कहा कि देश में तकरीबन 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाने के लिए 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए 60,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम आवंटित करेगा। ग्रामीण भारत में जैव–उर्वरकों और विभिन्न तरह की ऊर्जा के रूप में कचरे को संपदा में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

श्री गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को युद्ध–स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें देश की हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से, स्कूल, शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी इस मुहिम में लगाया जाएगा।

इस पवित्र मुहिम में देशभर के सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी सहयोग करने को कहा जाएगा।

कृषि संबंधी बैंक ऋणों को एन.पी.ए. फ्री कैसे बनाएं

रमेशचंद जैन

वर्तमान में बैंकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या कृषि ऋणों में अनुपयोज्य आस्तियों अर्थात एन.पी.ए. को कम करने की है, और इस हेतु यदि कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, तब जहां एक ओर प्राविजिनिंग एवं राइट आफ के कारण बैंकों के अस्तित्व का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषकों की आस्तियों को निर्धारित अवधि में किश्त न चुकाने पर नीलाम किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका के जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो रहा है, जो सामाजिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है।

भारत में एन.पी.ए.(गैर–निष्पादित संपत्ति) नीति वैश्वीकरण के साथ सन 1992 में लागू की गई। इसके लागू होने के पहले की बैंकिंग व्यवस्था में कृषि ऋणों के न एन.पी.ए. होते थे, न रिश्ड्यूलिंग, रीफेजिंग,कम्प्रोमाइस या राइट–ऑफ के मामले सुनाई देते थे। बहुत कम मामलों में ऋण डूबते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वैश्वीकरण के साथ सन 1992 में लागू की गई एन.पी.ए. नीति भारत की पुरातनकाल से चली आ रही कृषि ऋण नीति से मेल नहीं खाती। अतः यह आवश्यक है कि आयातित एन.पी.ए. नीति को भारतीय परंपरागत कृषि ऋण नीति के परिप्रेक्ष्य में देखना/अध्ययन करना/शोध करना होगा, तथा इसे पुनरीक्षित रूप में लागू करना होगा, जिससे जहां एक ओर वह वैश्वीकरण के मानदंडों के अनुरुप हो, वहीं दूसरी ओर वह भारतीय परिस्थितियों के अनुरुप भी हो, ताकि भारतीय कृषि ऋण बैंकिंग व्यवस्था उसे आत्मसात करते हुए सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहे।

इस प्रस्तुति में लेखक ने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में आयातित एन.पी.ए. नीति को भारतीय कृषि ऋण व्यवस्था में समाहित करते हुए, एक ऐसी कृषि ऋण नीति की प्रस्तुति की है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एन.पी.ए. फ्री (N.P.A.Free) कृषि ऋण प्रणाली की स्थापना कर सके।

भारत एक सुविधा संपन्न देश होते हुए भी, यहां की अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि या कृषि संबद्ध कार्यकलापों में लगी हुई है। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, अर्थात भारतीय कृषि मानसून आधारित है। मानसून के कम–ज्यादा आने का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उसकी माली हालत को प्रभावित करता है। भारतीय कृषकों के बारे में यह कहावत चरितार्थ है कि वह ऋण में जन्म लेता है, ऋण में रहता है और मरते समय अपनी अगली पीढ़ी के लिए ऋण भार छोड़ जाता है। ऐसी परंपरागत ऋण ग्रस्तता व्यवस्था में एन.पी.ए. नीति के अनुपालन में ऋण किश्त+ब्याज दो क्राप सीजन से अधिक का शेष न हो, संभव होना न केवल मुश्किल भरा है, अपितु असंभव है। फलतः ऋण वसूली में बैंकों द्वारा पूरी शक्ति झोंक दिए जाने के बावजूद भी कृषि ऋणों में एन.पी.ए. का प्रतिशत नियंत्रण के बजाय दिन–प्रति–दिन बढ़ रहा है, और एक अनुमान के अनुसार घोषित–अघोषित एन.पी.ए. लगभग दस प्रतिशत हो गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकारी ऋण माफी घोषणाओं, कम्प्रोमाइज व राइट ऑफ व्यवस्था ने कर्ज चुकाने वालों को भी डिफाल्टर बनने हेतु प्रेरित किया है। अतः इसमें सुधार आवश्यक है, ताकि बैंकिंग ऋण व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर सके।

वर्तमान बैंकिंग कृषि ऋण डिलीवरी व वसूली व्यवस्था

मांग ऋण : बैंकों से सामान्यतया मांग ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक केश क्रेडिट ऋण योजना का अंग है, जो एक रनिंग एकाउंट की तरह है, जिसमें ब्याज राशि दो क्राप सीजन से अधिक की ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। ऋण राशि को केश क्रेडिट एकाउंट की तरह निर्धारित अवधि तक कितनी ही बार निकाला जा सकता है, तथा यदि लिमिट में परिवर्तन न होना हो तब डाक्यूमेंटस का तीन वर्ष में रिनूवल आवश्यक है। किंतु ऐसा प्रकाश में आया है

कि कई बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को दिए गए ऋण को प्रतिवर्ष चुकता करवाते हैं, और पुनः लिमिट स्वीकृत कर नया खाता खोलते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश किसान स्थानीय साहूकार से 8–15 दिन की महंगी ब्याज दर पर रकम उधार लेकर बैंक का खाता चुकता करते हैं, और पुनः ऋण स्वीकृति करवा कर साहूकार की चुकौती करते हैं। जिन बैंकों में ऐसा किया जा रहा है, वह किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भावना के अनुरूप नहीं है।

किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों को बैंकिंग व्यवस्था सिखला कर राशि का आवश्यकतानुसार उपयोग करना है, ताकि बैंकिंग व्यवस्था किसानों की नियमित वित्त आवश्यकताओं का स्रोत बन सके। कुछ विशेष परिस्थितियों यथा खाते में कोई लेन–देन न होने की स्थिति में ही खाते एन.पी.ए. होते हैं, जिसे नियमित मानीटरिंग से टाला जा सकता है।

सावधि ऋण : कृषि ऋणों में लगभग 60–70 प्रतिशत भाग टर्म लोन का होता है। टर्म लोन के मामले में ऋणी को किश्त+ब्याज जमा करना होता है, जो आकस्मिक सामाजिक या गैर–सामाजिक खर्च आ जाने से, कई मामलों में जमा करना संभव नहीं होता, तथा अधिकांश खाते अनियमित या एन.पी.ए. हो जाते हैं। एक बार इस प्रकार टर्म लोन खाता एन.पी.ए. हो जाने पर कई बार के प्रयास अर्थात रिशडियूलिंग, रीफेजिंग किए जाने पर भी उसे एन.पी.ए. से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, अंत्तोगत्वा कम्प्रोमाइस और राइट ऑफ की स्थिति में पहुंच जाता है।

बैंकों के अधिकांश टर्म ऋण मध्यम एवं दीर्घकालीन संपत्तियों के क्रय करने हेतु दिए जाते हैं, जिसमें ऋण लेते समय आवेदक अपनी आय को कुछ बढ़ा–चढ़ाकर दिखा देता है, और इस प्रकार उसकी किश्त देय क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता, तथा ऋण एन.पी.ए. हो जाने पर उसकी ऋण द्वारा अर्जित संपत्ति बैंक द्वारा नीलाम कर दी जाती है, जो ऋण राशि की तुलना में बहुत कम में बिक जाती है। जिससे न केवल उसकी योजना फेल हो जाती है, अपितु वह शेष राशि के भुगतान के लिए देनदार हो जाता है, और कई मामलों में आत्महत्या कर लेता है,या बर्बाद हो जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऋण लेते समय वित्तीय ज्ञान/साक्षरता के अभाव में वह इस प्रकार के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ रहता है, तथा इस प्रकार ऋण लेना उसे वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाता है। उदाहरणार्थ एक दस एकड़ भूमि के स्वामी को बैंक आसानी से ट्रेक्टर ऋण टर्म लोन के रूप में व किसान क्रेडिट कार्ड केश क्रेडिट ऋण के रूप में दे देती हैं, किंतु अधिकांश मामलों में कृषक पहली या दूसरी किश्त चुकाने के मामले में ही डिफाल्टर हो जाता है। अधिकांश मामलों में देखा गया कि वह कृषक बैंक ऋण की चुकौती हेतु परेशान होने लगता है, फिर या तो जमीन का एक टुकडा या जेवर बेचकर कर्ज चुका पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। ऐसा न करने पर वह ऋण चुकौती की चिंता में डूबा रहता है, खाता एन.पी.ए. बन जाता है, और फिर सब कुछ भगवान भरोसे मान कर, जो होनी है उसे भुगतता रहता है।

सिद्धांततया ऋण किश्त व ब्याज की चुकौती लाभ/इन्क्रीमेंटल आय से करी जानी चाहिए, किंतु अधिकांश मामलों में ऋण किश्त व ब्याज की चुकौती लाभ/इन्क्रीमेंटल आय से नहीं हो पाती। ऐसे में चुकौती संपत्तियों को बेचकर या मार्केट से कर्ज लेकर करनी होती है, जो वर्तमान समस्या को भविष्य के लिए और भयावह बनाने के अलावा और कुछ नहीं होती है। फलतः एन.पी.ए. में वृद्धि तेजी से हो रही है।

एन.पी.ए.ऋण वसूली में रिवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर तहसीलदार द्वारा, लोक अदालतों द्वारा, सिक्यूटराइजेशन एक्ट,2002 के अंतर्गत बैंकों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिक्युरिटी की नीलामी द्वारा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट की धारा 138 द्वारा, वसूली एजेन्टों द्वारा व अन्य कानूनी कार्यवाहियों द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी आशातीत परिणाम नहीं निकल रहे हैं। अतः इस दिशा में कुछ और किए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में ऋण डिलीवरी सिस्टम में हो रहे परिवर्तन

स्वसहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों में एन.पी.ए. न हों, तथा ग्रुप सदस्यों को बार–बार ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के लिए न आना पड़े, साथ हीं उन्हें किश्त चुकाने की चिंता से मुक्ति मिले, इस हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग ए.सी.अनुभाग एफ क्र. 3/45/2011–ए.सी. दिनांक 17.11.2011 के परिपत्र द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्याधिकारी/ प्रबंध निदेशक आई.सी.आई बैंक, अध्यक्ष नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई को सूचित किया गया है, कि समस्त स्वयंसहायता समूहों को केवल नकद ऋण अर्थात केश क्रेडिट ऋण स्वीकृत किए जाएं, तथा समूह हर माह केवल ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वसहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋणों में टर्म लोन की व्यवस्था की समाप्ति से इन खातों में एन.पी.ए. नहीं होंगे, क्योंकि ग्रुप को ऋण चुकौती हेतु किश्तों के भुगतान की चिंता समाप्त हो जाएगी, अब उन्हें केवल ब्याज की चुकौती करनी होगी, जो ग्रुप की आय व ब्याज अनुदान में से आसानी से चुकता होगी।

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि में जहां परिचालन सुगमता के लिए कम्पोजिट लोन देने की व्यवस्था कर दी गई है, वहां अधिकांश मामलों में बैंकें टर्म लोन देती हैं, तथा किश्त+ब्याज की राशि 90 दिन से अधिक ओवरड्यू के मामलों में खाते एन.पी.ए. हो जाते हैं। इन मामलों में यदि टर्म लोन के स्थान पर मांग ऋण या केश क्रेडिट ऋण दिया जाए

तब 90 दिन के अंदर केवल ब्याज चुकौती आवश्यक होगी, तथा ऋण किश्तें सुविधानुसार चुकाई जा सकेंगी और बैंकों को एन.पी.ए. के प्रावधानों से छुटकारा मिल जाएगा।

रिवर्स मार्गेज ऋण : इसके अंर्तगत वृद्धजनों को उनकी प्रापर्टी को प्रतिभूति के रूप में रखकर मांग ऋण दिया जाता है, जो सामान्यतया ऋणी की मृत्यु के पश्चात या तो उत्तराधिकारियों द्वारा चुकाया जाता है, या सिक्युरिटी को नीलाम कर वसूल किया जाता है। इसमें कोई भी ऋण किश्त+ब्याज किश्त की आवधिक देनदारी नहीं होती, अतः खाते के एन.पी.ए. होने का सवाल ही नहीं उठता।

बैंक अपने कृषि ऋण पोर्टफोलियो को कैसे एन.पी.ए. रहित बनाएं

बैंक एकाउंटस उद्देश्य के लिए सभी ऋण मांग ऋण या केशक्रेडिट के रूप में वितरित करें, जिसमें किश्त चुकाने की आवधिक व्यवस्था न होकर, ऋणी के आप्शन पर स्वैच्छिक चुकौती व्यवस्था हो। बैंक सिक्युरिटी पर अधिक ध्याान दें, व इसकी आवधिक समीक्षा करें, ताकि खाते की शेष ऋण राशि सिक्युरिटी से सदैव सुरक्षित बनी रहे। जहां सैद्धांतिक रूप में टर्म लोन दिया जाना हो, या टर्म लोन को मांग ऋण में बदला गया हो, वहां वास्तविक वसूली को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष ऋण लिमिट नीचे की ओर एडजस्ट किया जाए, जिससे ग्राहक की देनदारी धीरे–धीरे समाप्त हो सके।

बैंक स्टाफ एन.पी.ए. मापदंडों के अनुसार कृषि ऋणों में नियमित ब्याज वसूली का ध्यान रखे। सिक्युरिटी की त्रैमासिक समीक्षा हो, तथा जहां अति आवश्यक हो उसे नीलाम कर वसूली करें। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो नियमों में परिवर्तन किए जाने की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था को प्रारंभिक तौर पर सर्वप्रथम 20 लाख रुपये तक के ऋणों में प्रयोग के तौर पर कुछ चुनिंदा शाखाओं में लागू किया जा सकता है, तथा अनुकूल परिणाम मिलने पर अन्य/सभी शाखाओं में।

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि में जहां परिचालन सुगमता के लिए कम्पोजिट लोन देने की व्यवस्था कर दी गई है, वहां सभी मामलों में बैंक टर्म लोन के स्थान पर मांग ऋण या केश क्रेडिट ऋण देने की व्यवस्था करें, तथा 90 दिन के अंदर ब्याज चुकौती सुनिश्चित करें, ताकि एन.पी.ए. के प्रावधानों से छुटकारा पाकर, ऋणियों को भी डिफाल्टर की श्रेणी में जाने से बचाते हुए, उन्हें भी सम्मानपूर्वक कारोबार करने का अवसर मिल सके।

हाउसिंग ऋण के मामले में टर्म लोन का किश्त निर्धारण सामान्यतया 20–30 वर्ष के लिए ग्राहक की आयु को इस प्रकार से ध्यान में रखकर किया जाता है, कि ऋण की संपूर्ण चुकौती उसकी 60–65 वर्ष की आयु तक हो जाए। यहां यह विचारणीय है कि जिस मकान की आयु 60 से 80 वर्ष है, तथा दो–तीन पीढ़ियों को उसमें निवास करना है, ऐसी स्थिति में जबकि रिवर्स मार्गेज लोन स्कीम भी प्रचलन में आ गई है, क्यों न इसे किश्त ऋण अर्थात टर्म लोन की श्रेणी से निकालकर मांग ऋण की श्रेणी में लाया जाए जिससे किश्त+ब्याज के स्थान पर केवल ब्याज चुकाने की बाध्यता रहे, तथा मूलराशि वह सुविधानुसार चुकाता रहे। यहां भी बैंक सिक्युरिटी पर अधिक ध्यान दें, व इसकी आवधिक वेल्यूशन/समीक्षा करें, ताकि खातों की शेष ऋण राशि सिक्युरिटी से सदैव सुरक्षित बनी रहे। यहां वास्तविक वसूली को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष ऋण सीमा नीचे की ओर एडजस्ट की जाए, जिससे ग्राहक की देनदारी धीरे–धीरे समाप्त हो सके।

पुराने एन.पी.ए. खातों में जहां सुधार की उम्मीद हो, टर्म लोन खातों को रिश्ड्युलिंग, रीफेजिंग के स्थान पर, आवेदन और दस्तावेजी नवीनीकरण के द्वारा मांग ऋण में बदला जा सकता है। यह व्यवस्था रीश्यूडिलिंग, रीफेजिंग की तुलना में खातों को दीर्घकालीन एन.पी.ए.फ्री रखने में प्रभावकारी सिद्ध होगी। बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व भारतीय कृषि ऋण व्यवस्था मुख्यतया साहूकारों के हाथ में थी, जो मूलधन की अपेक्षा ब्याज वसूली पर अधिक ध्यान देते थे, ऋणी अधिक ब्याज देने के बावजूद भी कर्ज में बने रहना पसंद करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान में आय बढ़ी है, किंतु नए–नए अविष्कारों ने आवश्यकताएं भी बढा दी हैं, जिससे खर्च भी काफी बढ़ गए हैं। फलतः अधिकांश जनता अभी भी ऋण में ही जीवन व्यतीत कर रही है। हमारा कृषक जगत अभी भी मोटे तौर पर जीवन निर्वाह की स्थिति में ही जी रहा है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम वैश्वीकरण के दौर में एन.पी.ए. के अंर्तराष्ट्रीय मानदंडों के अनुपालन में अपनी ऋण व्यवस्था में टर्म लोन के स्थान पर मांग ऋण व्यवस्था लागू करें, ताकि ब्याज मात्र की वसूली से बैंक ऋणों को स्टैंडर्ड ऋणों की श्रेणी में बनाए रखा जा सके।

यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने इस मर्म को समझा है और सेल्फ हेल्प ग्रुप फायनेंसिंग जैसे अति गरीब हितग्राहियों को दिए जाने वाले ऋणों में टर्म लोन के स्थान पर केश क्रेडिट ऋण व्यवस्था को लागू कर न केवल एन.पी.ए. से छुटकारा दिलाया है, अपितु करोड़ों गरीब हितग्राहियों को डिफाल्टर हो जाने से बचाते हुए, उन्हें सम्मान से ऋण सुविधा प्राप्त करने के योग्य बनाया है।

आशा है कि बैंकों के नीति निर्मातागण उक्त सुझावों पर गौर करेंगे, तथा सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात सुझावों को क्रमबद्ध लागू करने पर विचार कर कार्यान्वित करेंगे, ताकि ऋणी और बैंक दोनों एन.पी.ए. के दुष्परिणामों से छुटकारा पाते हुए अपना–अपना कार्य सुचारु रूप में निष्पादित कर सकें।

(एम.बी.ए, एम.ए.अर्थशास्त्र एवं भूगोल,सी.ए.आई.आई.बी, ए.आई.बी. लंदन, इंग्लैंड। रिटायर्ड बैंक फेकल्टी, विधि अधिकारी, बैंक प्रबंधक, जो वर्तमान मे बैंकिंग बुक्स लेखक व विजिटिंग फेकल्टी के रूप में कार्यरत हैं)
ई–मेल : rameshchandjain91@yahoo.in

भारत में कृषि ऋण की चुनौतियां

सौरभ कुमार

एक तरफ कृषि ऋण व्यवस्था को सशक्त, सहज और लक्ष्य केन्द्रित बनाने के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे के निर्माण पर बल देने की आवश्यकता है। तो दूसरी तरफ किसानों की ऋण जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बैंकिंग कामकाज को सरल और कठिनाई रहित बनाने की जरुरत है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वह यह है कि हमें किसानों को वित्तीय सेवाओं और सुविधाओं के विषय में जानकारी और जागरुकता प्रदान करने के उपाय शीघ्र आरम्भ कर देने चाहिए। किसानों के लिए तमाम ऋण कार्यक्रम और योजनाएं हैं जबकि वे इसका लाभ अत्यल्प मात्रा में उठा पाते हैं। किसानों की जागरुकता के अभाव के कारण ही बिचौलियों के वर्ग का उदय हुआ है। हमें इस पर प्रभावी कदम उठाने की जरुरत है।

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उस देश को ही अल्पविकसित या विकासशील मान लिया जाता है जिसकी आर्थिक संरचना कृषि आधारित है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ही कृषि और कृषकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं देश में कृषि कार्य को आज तक अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी है। यही कारण है कि करीब 65 करोड़ की आबादी जिस व्यवसाय पर निर्भर है वह गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। 1990 के दशक के बाद से भारत आर्थिक–स्तर पर लगातार प्रगति करता रहा है और आज भारत में यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जी डी पी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में है। यह प्रगति देश में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नतीजा है और इन तीनों कारकों में कृषि का कोई योगदान नहीं माना जाता है। आज एक विकसित राष्ट्र की पहचान उसकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान के स्तर से तय होने लगी है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक कृषि क्षेत्र को नहीं माना जाता है। भारत में ही देखें तो इसकी आर्थिक व्यवस्था में कृषि का योगदान काफी कम हो चुका है जो करीब 14 प्रतिशत पर सिमटा हुआ है। यह आश्चर्यजनक लगता है कि जो कृषि आधी से अधिक भारतीय आबादी को रोजगार प्रदान कर रही है उसकी गणना इस रूप में कैसे संभव है?

भारतीय कृषि और भारतीय कृषक सदियों से एक विभेदीकृत जीवन पद्धति के आदी हो चुके हैं। 60 के दशक में हरित क्रान्ति के बाद से देश में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की जो

स्थिति बनी थी वह आज भी एक मिसाल के रूप में याद रखी गई है। किन्तु आज इस समय हमारे देश में ना तो कृषि का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और स्वाभाविक तौर पर ना ही खाद्यान्न सुरक्षा का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र में तमाम चुनौतियां गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं जबकि इससे निपटने के पर्याप्त उपायों का अभाव दिख रहा है। इन चुनौतियों में खासकर वित्त व्यवस्था की उपलब्धता और उस तक पहुंच का स्तर महत्वपूर्ण हो चुका है। कृषि क्षेत्र में आज उत्पादन लागत काफी महंगा हो चुका है जबकि इस क्षेत्र के लिए निवेश और ऋण का प्रवाह अत्यल्प है। जबकि किसी भी उत्पादन के लिए इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज कृषकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि वे जितनी लागत लगाकर फसल प्राप्त करते हैं उसके अनुरूप उन्हें उसकी कीमत नहीं मिल पाती। साथ ही लागत के मुताबिक पैदावार भी नहीं हो पाती। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वे अधिकतर गैर–संस्थागत स्रोतों से ऋण पर निर्भर होते हैं जिनकी ब्याज दर काफी अधिक होती है और फसल उत्पादित करने में लगे समय के साथ उनके मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज की रकम ही हो जाती है जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं होती और अंततः आत्महत्या का विकल्प उनके पास बच जाता है। किसानों के सामने महंगे बीज, खाद, उर्वरक, मशीन, मजदूरी, सिंचाई आदि की चुनौतियां होती हैं जिसे सहन करना छोटे व सीमान्त किसानों के लिए काफी कठिन है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में प्रभावशाली निवेश और ऋण प्रवाह की दर को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है।

कृषि ऋण की दिशा में सरकारी प्रयास

भारत सरकार के कई उपायों से हालांकि इस दिशा में काफी प्रयास किए गए हैं, किन्तु इसकी पहुंच छोटे व मझोले किसानों तक अब भी काफी सीमित मात्रा में है। ग्रामीण बैंक, नाबार्ड की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने जैसे उपायों के अलावा वर्ष 2004 से भारत सरकार के प्रयासों के कारण कृषि क्षेत्र को मिलने वाले ऋण में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2004– 06 में कृषि ऋण दुगुना करने, 2008 में किसानों की कर्ज माफी करने के अलावा वैद्यनाथन समिति–1 की सिफारिशों के अनुसार सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने जैसे उपायों से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को गति मिली है। इसके अलावा सिंचाई, जल संभरण, भूमि विकास, कृषि विपणन, मूल सुविधा और सड़क संपर्कों के बढ़ने के कारण कृषि उत्पादकता और आय में भी वृद्धि देखी गई है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि ऋण का परिदृश्य काफी अच्छा रहा है।

इस बार के बजट में भी कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसमें किसानों को 7 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज देने के प्रावधान के साथ ही किसान विकास पत्र फिर से शुरू किया गया है। किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन भी किया गया है। इसी प्रकार किसानों को 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ हेल्थ कार्ड बांटे जाने की घोषणा से कृषकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। कृषकों को उनके उत्पाद के वाजिब मूल्य प्रदान करने व कृषि क्षेत्र में आढ़तियों की जमाखोरी से निपटने के लिए कस्बों और शहरों में किसान बाजार बनाने की भी इस बार के बजट में घोषणा की गई है। किसानों के सशक्तीकरण और उन्हें कृषि क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में जागरुक करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए एक टीवी चैनल भी शुरू किए जाने की बात भी कही गई है। देश में अधिकांश कृषि (करीब 60%) मानसून पर निर्भर है। इस बार के बजट में सिंचाई के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। सुनिश्चित सिंचाई हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में सरकार ने 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बजट में कहा गया है कि प्रोटीन क्रान्ति और उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी सहायता के साथ दूसरी हरित क्रान्ति कृषि क्षेत्र में अहम फोकस होगा।

कृषि ऋण की दिशा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का महत्वपूर्ण योगदान है। यह कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सुविधा की लागत घटाने और किसानों को कम लागत वाली निधियां उपलब्ध कराने की कोशिश करता रहा है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी तब से कृषि क्षेत्र में इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्रवाह की दर बढ़ी है। नाबार्ड द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण का दायरा सिंचाई, डेयरी, पशुपालन, वानिकी और मछलीपालन तक विस्तृत है। वर्तमान में नाबार्ड के ऋणों का प्रमुख ध्यान कृषि क्षेत्र के सतत ऋण आवश्यकता की समग्रता में और स्थायी रूप में पूरा करने पर है। यह खेतिहर मजदूरों सहित किसानों को सतत जीविका के साधन बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। साथ ही इसका प्रयास तकनीकी विकास के जरिए उत्पादकता बढ़ाने और विपणन तथा बाजार को मजबूती देने में भी है।

इन सबके साथ राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति का अनुमोदन किया था। इस नीति का प्रमुख जोर उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ किसानों के कल्याण व हितों को प्रमुखता देने पर थी। कृषि क्षेत्र में ऋण व वित्तीय सुविधा के सन्दर्भ में इस

नीति में कई उपाय किए गए थे। इसके तहत जो किसान कर्ज में डूबे थे उनके लिए राहत के अलावा ऋण के विषय में जानकारी और ज्ञान देने के उद्देश्य से सलाहकार केन्द्रों के विकास और बीमा व मुआवजा हेतु कई उपाय प्रस्तावित थे।

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के साथ-साथ इसके लिए समग्र वित्तीय उत्पाद की उपलब्धता भी उतनी ही जरुरी है। इसमें किसानों और कृषि को ऋण के अलावा बीमा कवर भी दिया जा सकता है। यह इसलिए जरुरी है क्योंकि किसानों की केवल ऋण की जरूरतों को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, यदि फसल बर्बाद होती है या उत्पादन कम होता है तब किसान के पास ऋण चुकाने का कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में बीमा उत्पाद जैसी सुविधा ही उनकी मदद कर सकती है। इसी दृष्टिकोण के साथ 1999 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत विभिन्न कारणों से फसल के बर्बाद होने पर किसान को क्षतिपूर्ति की जाती है। हालांकि किसानों के हितों को देखते हुए इस योजना को केवल ऋण प्राप्त किसानों तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि इसके दायरे में वे किसान भी हैं जो ऋण नहीं लिए हैं। वर्तमान में यह 23 राज्यों में लागू है। इसके दायरे में पारंपरिक फसल के साथ नकदी फसलों को भी रखा गया है। वैसे फसल बीमा की शुरुआत 1972 में ही भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर दी गई थी किन्तु जागरुकता और इसका व्यापक प्रचार- प्रसार न होने की वजह से इसका लाभ किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अलावा भी अन्य कई तरह की बीमा योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने भी महत्वपूर्ण रुचि व भागीदारी दिखाई है। कुछ अन्य फसल बीमा योजनाएं हैं- रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, एकीकृत आपदा बीमा, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वर्षा बीमा योजना, आम बीमा योजना, आलू बीमा योजना, सेब बीमा योजना आदि।

कृषि ऋण की चुनौतियां

यहां एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण पूर्णतः कृषि और कृषकों के लिए ही नहीं होता। बल्कि भंडारगृहों, शीतगारों, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसे कार्यों के लिए दिया जाने वाला ऋण भी कृषि ऋण में ही शामिल कर दिए जाने से यह भ्रमित करता है। इससे कृषि ऋण आंकड़ों में तो बढ़ जाता है किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। आज भी छोटे व मझोले किसानों की पहुंच संस्थागत ऋण स्रोतों तक नहीं हो पायी है। इस बात के कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि साधन संपन्न और चुनिन्दा किसान ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जबकि विपन्न और जरूरतमंद किसान अब भी संस्थागत स्रोतों से ऋण पाने के लिए संघर्षरत हैं। आज देश में जोत का आकार भी लगातार कम होता जा रहा है। कुल मिलाकर देश में छोटे किसानो का प्रतिशत करीब 83 है। इन किसानों के ऋण की आपूर्ति करना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ये अधिकतर विपन्नावस्था में होते हैं और इनकी जमीन की उत्पादकता भी उतनी नहीं होती जिससे ये लागत की वसूली कर पाएं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2003 के 59 वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार छोटे किसानों की आय और खपत का अंतर करीब 655 रुपये तक का होता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में सभी कृषक परिवारों की करीब 42% और दो एकड़ जमीन वाले किसान परिवारों के करीब 50% लोग गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं। बैंकों के लिए ऋण प्रदान करने के मामले में कृषि ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित करने के बावजूद कुल बैंक ऋण की 18% राशि कृषि क्षेत्र को देने में भी बैंक विफल रहे हैं। देश में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विस्तार कृषि क्षेत्र के लिए अभी नया है किन्तु जहां यह है वहां भी यह सफल नहीं माना जा सकता। क्योंकि इनकी ब्याज दर काफी अधिक है कहीं-कहीं तो यह महाजनों की ब्याज दर के बराबर है। ऐसी दशा में हमारे देश की कृषि और किसानों तक बेहतर संस्थागत ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने की चुनौती और भी बढ़ जाती है।

भारत के सम्बन्ध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद किसानों की स्थिति दयनीय है। यह स्थिति कृषि के साथ लागत, जोखिम और प्रभावशीलता के कारण है। किसानों के लिए सबसे अहम् जरुरत वित्त की होती है क्योंकि किसी भी उत्पादक कार्य का प्रारम्भिक तत्व पूंजी ही है। किन्तु इसकी आपूर्ति और किसानों की उस तक पहुंच काफी कम है। भारत में ऋण का अनुपात जी डी पी का 70 % है जबकि कृषि क्षेत्र में यह 36 % से भी कम है। इससे प्रतीत होता है कि सभी नीतियों में प्राथमिकता देने के बाद भी इस क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पहुंच कम रही है। वर्ष 2009 के एक आंकड़े के अनुसार मात्र 14 % सीमान्त किसानों (एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान) को संस्थागत ऋण प्राप्त हो सका। इसके बाद बचे 86 % किसानों ने गैर-संस्थागत स्रोतों यानी सूदखोरों से ऋण प्राप्त किया। यह आंकड़ा तो सम्पूर्ण देश का है यदि हम क्षेत्रीय आधारों पर आंकड़े को देखें तो इसमे और भी असंतुलन देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए बिहार जैसे राज्यों का कुल ऋण अनुपात जी डी पी का 16 % से भी कम है। इसके अलावा 2007 से 2012 के दौरान कुल कृषि ऋण का करीब 38 % दक्षिण भारत में दिया गया जबकि कुल फसल क्षेत्र में

इनकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से भी कम रही। साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों को केवल 8 % ही ऋण मिल सका जबकि इनका फसली रकबा अधिक था। इसी अवधि के दौरान मध्य भारत को 13 प्रतिशत ऋण मिला जबकि उनकी फसल भूमि में हिस्सेदारी करीब 27 प्रतिशत है।

कृषि ऋण के साथ एक अन्य प्रमुख समस्या यह है कि संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में अधिकांश किसानों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई माह तक लगातार दौड़ने के बाद कहीं जाकर उन्हें ऋण प्राप्त हो पाता है। इसमें भी बिचौलियों की भूमिका काफी अधिक होती है। इसके अलावा ऋण प्रदान करने का वास्तविक मकसद उत्पादन लागत में सहायता देना होता है जो फसली सीज़न में होना चाहिए, जबकि इसके विपरीत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सम्बन्ध इस सीजन से बाहर होता है। कहने का मतलब यह है कि ऋण वितरण फसली मौसम यानी खरीफ के लिए जून से सितम्बर तक तथा रबी के लिए दिसंबर–जनवरी में होना चाहिए, जबकि अधिकांश बैंकों द्वारा इस तथ्य का ख्याल न करके अपनी सुविधा के अनुसार ऋण वितरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त ऋण के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं जब किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त ऋण का उपयोग कृषकों द्वारा कृषि कार्य में न करके अन्यत्र उपयोग किया गया है। हमें इस स्थिति से निपटने के भी उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय तंत्र की दक्षता को बढ़ाने तथा निगरानी प्रणाली को दुरुस्त करने की जरुरत है। साथ ही कृषकों की वास्तविक ऋण जरूरतों को समय रहते पूरा करने को प्राथमिकता देनी होगी।

कृषि ऋण के सन्दर्भ में एक समस्या यह भी सामने आती है कि इससे बैंकों में एन पी ए (गैर–निष्पादित संपत्ति) की समस्या बढ़ जाती है जोकि वर्तमान में करीब 5 प्रतिशत है। यह अन्य क्षेत्रों के मुकाबले करीब दुगुना है। हमें इस समस्या से निपटने के उपाय ढूंढने होंगे। इसके लिए दो तरीके के उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, किसान की वास्तविक जरुरत की पहचान करना और दूसरा, समय पर पारदर्शी व सहज–सरल व्यवस्था के साथ ऋण प्रदान कराना। किसानों द्वारा कर्ज लेकर न चुकाने जैसी घटनाओं के दो कारण हो सकते हैं। एक तो किसानों के द्वारा जानबूझ कर ऐसा करना और दूसरा वास्तव में किसान की स्थिति इसे चुकाने की नहीं है। पहले कारण का इस्तेमाल उन जगहों पर अधिक किया जाता है जहां भ्रष्टाचार और अनियमितताएं अधिक होती हैं तथा बिचौलिए किसानों और बैंक के बीच मध्यस्थता करते हुए अनैतिक रूप से लाभ कमाते

हैं। इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था को अपनाने की जरुरत है जिससे किसानों को इस प्रवृत्ति के लिए हतोत्साहित किया जा सके। साथ ही इस तरह की कड़ी तथा चुस्त निगरानी और समन्वयन प्रणाली बनाई जाए ताकि किसानों द्वारा ली गई राशि का दुरुपयोग न हो। बैंकों और किसानों के बीच बिचौलियों के प्रवेश को रोकने के लिए बैंकों तक सहज–सुलभ पहुंच का वातावरण निर्मित करने की भी जरुरत है। हालांकि वित्तीय समावेशन की योजनाओं और जन–धन योजना से इस दिशा में सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है।

इन सबके साथ भारतीय बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में लागत और आय का अंतर काफी आधिक होता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें बैंकों के निष्पादन को बेहतर बनाने के साथ शाखारहित बैंकिंग की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(लेखक बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी हैं।)
ई–मेल : sauravkumar19@gmail.com

कृषि विकास में सहायक उचित विपणन व्यवस्था

डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह एवं वैभव सिंह

कृषि विपणन व्यवस्था में पायी जाने वाली कमियों में सुधार हेतु काफी प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि विपणन व्यवस्था में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए है। किसानों का नजरिया भी परिवर्तित हुआ है, व्यापारी वर्ग की सोच भी बदली है। अतः कृषि विपणन व्यवस्था के दोषों में एक सीमा तक निश्चित रूप से कमी हुई है। यदि हम इसमें और अधिक सुधार की अपेक्षा रखते हैं तो हमें मण्डियों पर और अधिक नियन्त्रण करना होगा और सहकारी विपणन को और अधिक बढ़ावा देना होगा तभी हम किसानों, व्यापारियों एवं सारे समाज को लाभ पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगे।

कृषि विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन को किसान के यहां से अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है अर्थात् कृषि विपणन में कृषि उपजों को एकत्रित करना उनका श्रेणियन एवं प्रमाणीकरण, भण्डारों में रखना, मण्डी तक पहुंचाना, उनकी बिक्री करना और इन सबके लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

वर्तमान में कृषि विपणन व्यवस्था : किसान अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग गांव में ही साहूकारों, महाजनों, बनियों, घूमते–फिरते व्यापारियों, व हाटों में ही बेच लेते हैं, क्योंकि ये किसान या तो साहूकार अथवा महाजनों से पूर्व में ही ऋण लिए होते हैं या धन की आवश्यकता में खड़ी फसल का सौदा कर लेते हैं। किसानों के पास अभी भी परिवहन साधनों का अभाव है। साथ ही मण्डियों में व्याप्त कुरीतियों से भी बचना चाहते हैं। कुछ किसान अपनी उपज को मेलों में भी बेचते हैं, क्योंकि यहां लगभग एक हजार सात सौ मेले कृषि पदार्थ व जानवरों के लगते हैं, जिनमें लगभग चालीस प्रतिशत मेले कृषि वस्तुओं के होते हैं और किसान इन्हीं में अपनी उपज को बेच लेते हैं। जिन किसानों के पास फसल का विक्रय योग्य भाग अधिक मात्रा में होता है और उन्हें यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, वे अपना माल मण्डियों में लाकर कच्चे एवं पक्के आड़तियों तथा दलालों के माध्यम से बेचते हैं। देश में कृषि उपज की विक्रय की दृष्टि से सहकारी समितियां भी बनायी गयी हैं। ये समितियां अपने सदस्यों की कृषि उपज को एकत्रित करके उसे बड़ी मण्डियों में बेचती हैं। पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा भी कृषि उत्पादों का क्रय सीधे किसानों से किया जा रहा है। इसमें गेहूं, चावल, गन्ने आदि की खरीद भारतीय खाद्य निगम एवं सरकारी चीनी मिलें कर रही हैं।

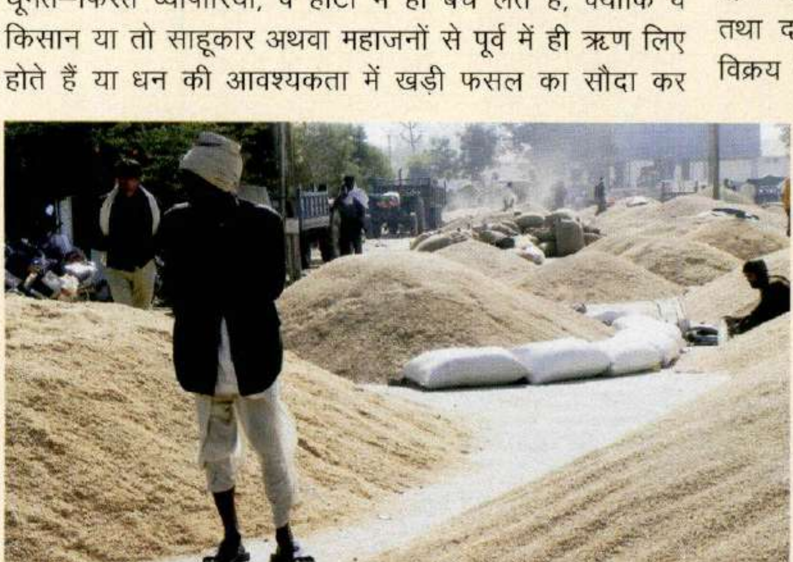

कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में दोष : किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही सरकार ने कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में काफी सुधार किए हैं। मण्डियों में व्याप्त कपटपूर्ण पद्धतियों पर रोक लगायी है, भण्डार गृहों की स्थापना की है, मध्यस्थों में कमी कर मूल्यों को नियन्त्रित किया है। इन सबके बावजूद वर्तमान में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में निम्न दोष व्याप्त हैं–

- हमारे देश में कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में किसान और उपभोक्ता के बीच बहुत सारे बिचौलिए हैं जिनमें, कच्चा, पक्का आढ़ती, दलाल, व्यापारी, ऋण देने वाले साहूकार एवं महाजन, थोक एवं फुटकर व्यापारी शामिल हैं। इन सभी के द्वारा लगभग बीस से पचास प्रतिशत तक हिस्सा किसानों से वसूला जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप उन्हें साहूकार एवं महाजनों से ऋण लेना पड़ता है और फसल आते ही, इन्हीं की इच्छानुसार माल बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे उनको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
- हमारे देश में भूमि का उपविभाजन एवं अपखण्डन तथा खेतों का आकार छोटा होने से, उपज की मात्रा कम रहती है। उसमें से भी कुछ खाद्यान्न वह अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। इसके पश्चात् विक्रय योग्य भाग की मात्रा बहुत कम रह जाती है जिसे वह अपने गांव में ही कम मूल्य पर बेचते हैं। यदि वह इस आधिक्य को विक्रय के लिए शहर अथवा मण्डियों में ले जाता है तो आनुपातिक रूप से उसे अधिक खर्च वहन करना पड़ता है।
- हमारे देश में अभी भी अनियमित मण्डियों की संख्या बहुत अधिक है। इन मण्डियों में दलाल एवं आड़ती धोखेबाजी से किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उपज का एक अच्छा भाग नमूने अथवा बानगी के रूप में निकाल लेते हैं, बाट एवं तराजू की गड़बड़ी, इशारों से मूल्य निर्धारित करना, मूल्य तय करते समय किसान को विश्वास में न लेना, आड़त, तुलाई एवं पल्लेदारी के अलावा, गोशाला, धर्मशाला, रामलीला, प्याऊ एवं बोराबन्दी आदि के नाम पर अनुचित कटौती करते हैं। मण्डी में यदि कोई विवाद हो जाए तो आड़ती क्रेता का ही पक्ष लेते हैं, किसान की कोई परवाह वहां नहीं की जाती।
- गांव में किसानों के पास अनेक खेत होते हैं, जिनमें एक ही वस्तु की विभिन्न प्रजातियां पैदा की जाती हैं किन्तु अज्ञानतावश किसानों द्वारा सभी उपज को एक साथ मिलाने से और उनका ग्रेडिंग तथा श्रेणी विभाजन न करने से उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- किसानों द्वारा आज भी खेती करने की पुरानी पद्धति, अच्छे बीज एवं खाद की कमी व फसल के प्रमाणीकरण के अभाव के कारण किसानों की उपज का स्तर घटिया रह जाता है और उसके खरीददार उसे कम मूल्य पर ही खरीदते हैं।
- कृषि विपणन में एक महत्वपूर्ण बाधा यातायात की भी है। गांव से मण्डियों तक कृषि उपज को लाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर–ट्राली, ट्रक आदि का सहारा लिया जाता है। पक्की सड़कें न होने के कारण वर्षा के समय तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही अधिक समय लगने से कृषि वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि के वजन में भी कमी आ जाती है।
- कृषि उपज के विपणन में एक दोष यह भी है कि किसानों को मूल्य सम्बन्धी सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं हैं क्योंकि किसानों की व्यस्तता के चलते एवं अशिक्षित होने के कारण उन्हें समाचार–पत्र, रेडियो अथवा टी.वी. पर मूल्यों की समुचित जानकारी नहीं हो पाती और वे महाजन अथवा व्यापारी द्वारा बताए गए मूल्यों पर ही विश्वास कर लेते हैं।
- भारतीय किसान पूरे देश में दूर–दूर तक फैले होने के कारण संगठित नहीं हो पाए। अतः फसल बेचते समय व्यापारी उन पर हावी हो जाते हैं और किसानों को अपनी फसल कम मूल्य पर बेचने को विवश करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज को अच्छे और पक्के भण्डार–ग्रहों में रखने की सुविधाओं का आज भी अभाव है। अतः किसानों के अपने निजी भण्डार जैसे खत्ती, कोठे, मिट्टी व बांस के बने बर्तन आदि में जहां कीटाणुओं, सीलन, घुन, चूहे, दीमक व अन्य कीड़े–मकोड़ों से सुरक्षा नहीं हो पाती, वहां किसान अच्छा भाव आने का इन्तजार न कर, उपज को शीघ्र बेचने के लिए बाध्य हो जाता है।

कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकारी प्रयास : सरकार द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं, ताकि किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो एवं गांवों का तीव्र विकास सम्भव हो सके। इसके लिए प्रमुख सरकारी प्रयास निम्नवत् हैं–

- सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए संग्रहण एवं गोदामों की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं जिनमें केन्द्रीय एवं राज्य गोदाम निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारी भण्डार गृह प्रमुख हैं। इस योजना के अधीन 30 जून, 2009 तक बीस हजार छः सौ नवासी भण्डारण परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनकी क्षमता दो सौ चालीस लाख सत्तासी हजार टन है।
- सरकार द्वारा नियमित बाजारों की स्थापना कर 1 अप्रैल, 1962 से बाटों और मापों में मीट्रिक पद्धति लागू की है। इससे माप–तोल की दिशा में बहुत सुधार हुआ है।
- समन्वित सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास कर देश के अधिकांश गांवों एवं शहरों को मण्डियों से जोड़ा गया है।
- किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पा सकें एवं मूल्यों में उतार–चढ़ाव रोकने की दृष्टि से वर्ष 1966 से सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।
- कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार ने चाय,

कॉफी, रबर, गर्म मसाले, तम्बाकू, नारियल, दलहन एवं तिलहन और वनस्पति तेल आदि के बारे में विशिष्ट वस्तु बोर्ड स्थापित किए हैं।

- जनजातीय क्षेत्र के लोगों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा अगस्त 1987 से भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की गई थी, जो अप्रैल,1998 से कार्यरत है।
- कृषि विपणन ढांचे का विकास करने तथा शिक्षण अनुसंधान व परामर्श के कार्यक्रमों हेतु कृषि विपणन के राष्ट्रीय संस्थान की वर्ष 1988 में स्थापना की गई।
- कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु एक नई कृषि उत्पाद योजना चालू की गई है ताकि फलों, सब्जियों, फूलों और छोटे वन उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव : भारत में कृषि विपणन व्यवस्था में व्याप्त दोषों के कारण किसानों को आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि सरकार ने कृषि विपणन में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, किन्तु अभी भी ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सुझाव निम्न हैं–

- सरकार को चाहिए कि नियमित मण्डियों की और अधिक स्थापना करे, जिन पर सरकार का नियन्त्रण हो तथा एक प्रबन्ध समिति भी गठित की जाए, जिसमें किसान, व्यापारी, सरकारी प्रतिनिधि व नगरपालिका के प्रतिनिधि शामिल हों, लेकिन बहुमत किसानों का ही होना चाहिए। मण्डियों में दलाली, कमीशन, आढ़त, तुलाई, मण्डी का समय, भुगतान व्यवस्था आदि के नियम तय होने चाहिए, जो मण्डी कार्यस्थल पर बड़े–बड़े बोर्ड अथवा होर्डिंग लगाकर प्रदर्शित किए जाए। मण्डी में कार्यरत मुनीम, दलाल, कच्चे व पक्के आढ़तियों, तौला आदि लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति ही होने चाहिए। मण्डी स्थल पर किसानों के रुकने तथा ठहरने व अपनी उपज को रखने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- कृषि वस्तुओं के श्रेणी विभाजन व प्रमाणीकरण किए जाने से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। अतः अधिकांश कृषि वस्तुओं के लिए प्रमाप निर्धारित किए जाने चाहिए।
- कृषि विपणन में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि प्रमाणित बाट व माप–तौल काम में लाए जाएं, जिससे किसानों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुराने बाट प्रयोग में लाते हुए देखा जा सकता है जिन पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए, कृषि पदार्थों के स्थानीय मूल्य व सम्बन्धित बातों की जानकारी, मुख्य मण्डियों के भाव प्रतिदिन रेडियो, दैनिक समाचार–पत्रों एवं टेलीविजन के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किए जाने चाहिए तथा ग्राम–पंचायत घरों पर रेडियो, टेलीविजन एवं दैनिक समाचार –पत्रों की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए, तथा जहां तक सम्भव हो सके किसानों हेतु इंटरनेट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
- कृषि उपज के आते ही बाजार भाव अक्सर गिरते देखे जाते हैं। अतः कृषि उपज के उचित विपणन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त भण्डार गृहों की सुविधा आवश्यक है ताकि किसान अपनी विक्रय योग्य फसल को सुरक्षित रख सकें और उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
- विपणन व्यवस्था में सुधार करने के लिए विपणन अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कृषि विपणन, कृषि बागवानी एवं पशुपालन से सम्बन्धी कमियों का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा सकें।
- सरकार को चाहिए कि वह फसल उगाने से पूर्व ही फसल का क्रय मूल्य घोषित कर दे और यदि फसल का बाजार मूल्य सरकार के निर्धारित मूल्य से कम हो जाए तो मूल्य स्थायित्व हेतु सरकार उपज को स्वयं क्रय कर ले।
- कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार हेतु गांवों की सड़कों को शहरों एवं मण्डियों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसान अपना माल शहर की मण्डियों में बेचने के लिए ले जा सके।
- कृषि विपणन में लगे कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि सरकार समय–समय पर मण्डियों से सम्बन्धित परिवर्तित नियम एवं व्यवस्थाओं की समुचित जानकारी किसानों को दे सके।
- कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु वित्तीय सुविधाओं के विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है ताकि किसानों को साहूकार एवं महाजनों के चंगुल से छुड़ाया जा सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए तथा मालगोदाम की रसीद पर ही किसानों को ऋण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- कृषि विपणन व्यवस्था में मध्यस्थों की संख्या को कम किया जाए तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए अधिकाधिक सहकारी विपणन समितियां बनायी जानी चाहिए। फलों एवं सब्जियों के विपणन में सर्वाधिक मध्यस्थ काम कर रहे हैं, जिससे उत्पादक एवं उपभोक्ता की कीमत में भारी अन्तर रहता है। अतः इन पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है।

**(लेखक क्रमशः एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद–246763 (उ.प्र.)
प्रोबेशनरी ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक, दुबरी (असम) हैं।)
ई–मेल : vaibhavsingh1991@gmail.com**

सब्जियों और फूलों की खेती के लिए नई हाइड्रोपोनिक विधि

मनोहर कुमार जोशी

सिकुड़ती कृषि जोत एवं सिंचाई के लिए सीमित जल को ध्यान में रखते हुए बिना मिट्टी एवं बहुत ही कम पानी के इस्तेमाल से पौधों को उगाकर सब्जियों एवं फूलों की खेती करने की एक नई तकनीक राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने विकसित की है। इस विधि में पौधों के लिए उपयोग में आने वाले जल की जरूरत बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति में इस्तेमाल होने वाले पानी से भी कम रहती है। जबकि पौधों की जड़ों को आधार प्रदान करने वाली मृदा की बिलकुल जरूरत नहीं होती। हाइड्रोपोनिक नामक इस पद्धति को विकसित करके शहरों में घरों से लेकर, बड़े-बड़े होटलों, बगीचों, फार्महाउसों तथा बंजर जमीन पर इस सिस्टम को स्थापित कर ताजा सब्जियां एवं फूलों की पैदावार ली जा सकती हैं।

सिकुड़ती कृषि जोत एवं सिंचाई के लिए सीमित जल को ध्यान में रखते हुए बिना मिट्टी एवं बहुत ही कम पानी के इस्तेमाल से पौधों को उगाकर सब्जियों एवं फूलों की खेती करने की एक नई तकनीक राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने विकसित की है। इस विधि में पौधों के लिए उपयोग में आने वाले जल की जरूरत बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति में इस्तेमाल होने वाले पानी से भी कम रहती है। जबकि पौधों की जड़ों को आधार प्रदान करने वाली मृदा की बिलकुल जरूरत नहीं होती। हाइड्रोपोनिक नामक इस पद्धति को विकसित करने वाले इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.लक्ष्मीनारायण हर्ष ने बताया कि यह प्लानिंग बिन मृदा संवर्द्धन के नाम से भी जानी जाती है तथा शहरों में घरों से लेकर, बड़े–बड़े होटलों, बगीचों, फार्महाउसों तथा बंजर जमीन पर इस सिस्टम को स्थापित कर ताजा सब्जियां एवं फूलों की पैदावार ली जा सकती है।

बिना मृदा के पौधों को कैसे उगाएं

डॉ. हर्ष के मुताबिक इसके लिए लोहे के मजबूत एंगल से वी शेप का एक ढांचा तैयार किया जाता है जो डेढ़ फुट जमीन में गड़ा हुआ और जमीन से छह फुट ऊंचा रहता है। वी शेप वाले ढांचे के दोनों ओर छह–छह मीटर लम्बाई एवं दस सेमी. व्यास वाले तीन–तीन पीवीसी पाइप आमने–सामने लगाए जाते हैं। इन पाइपों पर तीस से.मी. के अंतराल पर साढ़े सात से.मी. व्यास के छेद किए जाते

हैं। इसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि दोनों ओर के पाइपों में किए जाने वाले ये छेद आमने–सामने न हो। दस से.मी. व्यास वाले इन पाइपों को प्रोडक्ट पाइप कहा जाता है। इन पाइपों के बंद सिरे की ओर कम से कम 100 लीटर क्षमता की पानी की एक टंकी जमीन में रखी जाती है जिससे पौधों के लिए पाइपों में जलापूर्ति की जाती है। जलापूर्ति सब मर्सिबल पम्प के जरिए प्रॉडक्ट पाइप में की जाती है। इन मोटे पाइपों के निचले सिरों पर कीप को पतले पाइपों से जोड़ा जाता है जो अतिरिक्त जल को पुनः पानी की टंकी में पहुंचा देता है। उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम शेडनेट से ढका रहता है ताकि पौधे तेज धूप एवं कीटों की चपेट से बच सकें।

उन्होंने कहा कि बड़े पाइपों में बनाए सात दशमलव पांच से.मी. व्यास वाले छेदों में 'मॉस : एक प्रकार की घास' रखी जाती है यह मॉस पौधे की जड़ों के लिए आधार एवं जल व पोषक तत्व संग्रहण का काम करती है। पाइपों में प्रवाहित होने वाला अतिरिक्त जल व पोषक तत्व कीपों के जरिए वापस पानी की टंकी में चला जाता है जिसकी रीसाइक्लिंग होती है।

कृषि विज्ञानी डॉ. हर्ष बताते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती के लिए तैयार किया जाने वाला वी शेप का ढांचा भी सस्ते में तैयार हो जाता है जिसमें लोहे के एंगल, प्लास्टिक के पाइप, पानी की एक टंकी, पाइपों में प्रवाहित होने वाले पानी को पुनः टंकी में पहुंचाने के लिए पतले पाइप और कीप एवं शेडनेट की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है। वह कहते हैं कि पूरे सिस्टम के रखरखाव पर सालाना पांच सौ रुपये से ज्यादा खर्चा भी नहीं आता।

कुलपति ने कहा कि यह विधि खारी जमीन एवं खारे पानी वाले इलाकों में भी कारगर साबित हो सकती है क्योंकि इस विधि में जमीन का उपयोग पौधों को उगाने में नहीं किया जाता। पौधों को जिंदा रखने के लिए काम में लिए जाने वाले मीठे पानी का एक टेंकर मंगा लिया जाए तो वह काफी दिनों तक चल सकता है। एक समय परम्परागत तरीकों से फसलों में सिंचाई होती थी और बड़ी मात्रा में जल व्यर्थ बहकर चला जाता था लेकिन वह बताते हैं कि नए दौर में फसलों की सिंचाई के लिए भिन्न–भिन्न विधियां अपनाई जाने लगी हैं। इनमें फव्वारा सिंचाई तथा बूंद–बूंद सिंचाई प्रमुख मानी जाती हैं। किन्तु सीमित जल और उसके प्रबंधन एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से इस्तेमाल को ध्यान में रखकर कृषि वैज्ञानिक आज इससे आगे बढ़कर नए–नए प्रयोग करने में लगे हुए हैं।

वरिष्ठ कृषि विज्ञानी डॉ. हर्ष के अनुसार इसी क्रम में हमने हाइड्रोपोनिक विधि विकसित की। उन्होंने दावा किया कि यह विधि ऐसी विधि है जिसमें सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जाने वाले जल की मात्रा का शत–प्रतिशत जल इस्तेमाल होता है जबकि बूंद–बूंद सिंचाई विधि में उपयोग में लिए जाने वाले सिंचित जल में से तीस प्रतिशत पानी वाष्प के रूप में या अन्य कारणों से बर्बाद हो जाता है केवल 70 फीसदी पानी ही सिंचाई में काम आता है।

हाईड्रोपोनिक विधि की विशेषताएं– स्वच्छ एवं पर्यावरणयुक्त खेती। बहुत ही कम सिंचाई जल की आवश्यकता। जल और जल में घुले पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण से लगातार उपयोग। थोड़ी मेहनत से ज्यादा लाभ। फसल की लागत में कमी। खरपतवारों से निजात से निराई–गुड़ाई के श्रम से मुक्ति। फसल के अनुकूल वातावरण न हो वहां पर भी इस विधि से फसल ली जा सकती है। बिना मौसम की सब्जियां उगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस विधि में फसल चक्र अपनाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। पोषक तत्वों के घोल का प्रवाह पानी के साथ लगातार बना रहता है, इत्यादि।

ध्यान रखने लायक बातें– इस सिस्टम को संचालित करने के लिए बिजली जरूरी होती है। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध होने पर पौधों की जड़ें सूखने का डर रहता है। लेकिन जहां विद्युत आपूर्ति बाधित होती है वहां सोलर पैनल से ऊर्जा प्राप्त कर विसंगति से बचने का सबसे बढ़िया विकल्प है। देश में अलग–अलग स्थानों की भिन्न–भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु होने के कारण हाइड्रोपोनिक सिस्टम को आवश्यकता के अनुसार विकसित किया जा सकता है लेकिन फिलहाल यह सिस्टम पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के अनुकूल कहा जा सकता है । राज्य सरकारें इसे अपनाकर किसानों तक पहुंचा सकती हैं। विश्वविद्यालय की टीम इसको और अधिक विकसित करने की संभावनाएं तलाशने में लगी हुई है। घटती कृषि जोत एवं सीमित जलराशि के चलते आने वाले समय में यह विधि ज्यादा अपनायी जाने की संभावना है।

कुलपति डॉ हर्ष के मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर ने अपने अनुसंधान केन्द्र में इस विधि से बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर, मटर एवं शिमला मिर्च की फसल लेकर हाइड्रोपोनिक विधि को जांचा व परखा है। गुलाब के पौधे भी उगाकर देखा जिन पर सुंदर फूल खिले। वह बताते हैं–गुलाब के फूलों की पैदावार के लिए यह विधि बहुत ही उपयुक्त एवं लाभदायक है। उन्होंने कहा कि अब धनिया एवं मैथी उगाने वाले हैं। सब्जी में उपयोग में आने वाली धनिया एवं मैथी की हरी पत्तियां ऐसी सब्जियों में शुमार हैं जो ऑफ सीजन में किसानों को अच्छा लाभ देती हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम

की ओर बड़ी संख्या में प्रयोगधर्मी काश्तकार आकर्षित हो रहे हैं। हाइड्रोपोनिक विधि के बारे में कोई भी व्यक्ति कृषि वि.वि जोधपुर की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एयू–जेयू.ओआरजी अथवा इस वि.वि. के कुलपति से विस्तार से जानकारी हासिल कर सकता है।

इसी प्रकार खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन करने वाले लोग अपने दुधारू पशुओं को वर्षभर हरा चारा खिलाने के लिए बिना मिट्टी हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने लगे हैं। इस विधि से हरा चारा उगाने की तकनीक राजस्थान में भरतपुर जिले के किसानों को यहां की एक निजी संस्था ने प्रदर्शन के दौरान समझाई है। ताजा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध होने से पशु दूध भी अधिक मात्रा में देते हैं। हरा चारा मक्का, ज्वार, गेहूं इत्यादि से तैयार किया जा सकता है। इस विधि से चारा उगाने के लिए चार फुट लम्बी एवं तीन फुट चौड़ी प्लास्टिक की ट्रे उपयोग में ली जाती है जिसमें गुनगुना पानी भरकर एक किलोग्राम मक्का, ज्वार अथवा गेहूं डाल दिया जाता है। पानी से भरी ट्रे में मिट्टी की जरूरत नहीं रहती। बीज अंकुरित होकर एक सप्ताह में हरा चारा तैयार हो जाता है जिसे काटकर पशुओं को डाल सकते हैं। इस चारे को ट्रे से काटते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि केवल पत्तियां ही कटे उसके तने को नुकसान न हो ताकि उसकी वृद्धि अवरुद्ध न हो। दो से पांच ट्रे खरीद कर यह सिलसिला लगातार चालू रखा जा सकता है।

कृषि एवं पशु विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य रूप में पाए जाने वाले हरे चारे की तुलना में इस चारे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल व पोषक तत्व भी अधिक पाए जाते हैं। दूसरी ओर पशुओं को दिए जाने वाले दाने के मुकाबले यह काफी सस्ता पड़ता है। वहीं इसमें फाइबर की मात्रा 14 प्रतिशत अधिक होती है जिसे पशु आसानी से पचा लेते हैं। चारा उगाने में काम आने वाली प्लास्टिक की ट्रे भी ज्यादा महंगी नहीं होती । जिनके पास चारा उगाने के लिए भूमि नहीं है वह लोग भी अब इस विधि से चारा उगाकर गाय–भैंस पाल गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त कर सकते हैं।

महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के भरतपुर के किसानों ने इस विधि से हरा चारा उगाकर अपने दुधारू पशुओं को खिलाना शुरू कर दिया है। पानी की कमी अथवा सूखे के दौरान यह तरीका पशु एवं पशुपालक दोनों को राहत दे सकता है।

कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो भविष्य में लाभकारी खेती एवं पशुपालन के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम सर्वाधिक उपयुक्त कहा जा सकता है।

(लेखक संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में कार्यरत हैं।)

रोज़गार समाचार के लिए अंशदान/सदस्यता कूपन

(नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन के लिये)

मैं एम्प्लायमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार हिंदी/अंग्रेज़ी/उर्दू के लिए

☐ 1 वर्ष (रु. 350/-) ☐ 2 वर्ष (रु. 700/-) ☐ 3 वर्ष (1050) की सदस्यता लेना चाहता हूं.

- डीडी नं. .... दिनांक .... रु. ....
- आईपीओ नं. .... दिनांक .... रु. ....
- मनीआर्डर नं. .... दिनांक .... रु. ....

हस्ताक्षर....................

नाम (साफ अक्षरों में) ....

पता ....

....

ज़िला.................राज्य.................

पिन ☐☐☐☐☐☐

लैंडलाइन फोन.................मोबाइल.................

ई-मेल.................

कृपया डीडी/आईपीओ/एमओ रोज़गार समाचार के पक्ष में भेजें.

पता:

रोज़गार समाचार

पूर्वी खण्ड-IV, लेवल-5, आर.के.पुरम

नई दिल्ली-110066

टेली: 26193179, 2107405, फैक्स: 26175516

ई-मेल: director.employmentnews@gmail.com

नोट: नवीकरण/पते में परिवर्तन हेतु

कृपया अपनी सदस्यता सं. का उल्लेख करें ☐

कृपया पहले अंक के डिस्पैच के लिये 4 सप्ताह का समय प्रदान करें.

कैंसर फाइटर है टमाटर

डॉ. सुनील कुमार खण्डेलवाल एवं
डॉ. देवेन्द्र जैन

आयुर्वेद के अनुसार टमाटर में अनेक औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। टमाटर के मात्र सेवन से ही यह अनेक शारीरिक रोगों का उपचार खुद-ब-खुद कर देता है। घरेलू औषधि के रूप में टमाटर का उपयोग अनेक असाध्य एवं सामान्य रोगों में किया जा सकता है। नवीन शोध के अनुसार उच्च पाचन शक्ति में सहायक टमाटर कैंसर को रोकने में भी सहायक हो सकता है। कीले यूनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड के प्रो. जॉर्ज टूस्कॉट के अनुसार टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला रसायन लाइकोपीन हमारी कोशिकाओं को तम्बाकू और डीजल के धुएं से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड के दुष्प्रभावों से बचाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव को कैंसरग्रस्त कर सकती है। टमाटर में उपलब्ध रसायन लाइकोपीन मानव शरीर में कैंसर फाइटर की तरह कार्य करता है।

टमाटर **सोलेनेसी** कुल का पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम *लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेन्टस* है। गुजराती में विलायती बैंगन, संस्कृत में रक्तफल, बंगला और हिन्दी में टमाटर, मलयालम व तमिल में तक्कालि, मराठी में वेलवंगी तथा अंग्रेजी में इसे **टोमेटो** कहते हैं। विगत वर्षों में किए गए अनुसंधानों से पता चला है कि टमाटर में विद्यमान रसायन लाइकोपीन में कैंसर जैसे भयानक रोग से लड़ने की अद्‌भुत क्षमता पाई जाती है, इसलिए टमाटर को कैंसर फाइटर भी कहा जाता है।

टमाटर देखने में जितना सुडौल, गहरे लाल रंग का मोटा और चिकना हो, उतना ही अच्छा माना जाता है। टमाटर खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है साथ ही साथ यह अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसे देखते ही खाने में रुचि बढ़ जाती है। टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में अधिक किया जाता है। यह प्रत्येक सब्जी–भाजी में किसी–न–किसी रूप में उपयोग किया जाता है। टमाटर का उपयोग दूसरी सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने एवं स्वाद में तीक्ष्णता लाने तथा रसा (शोरबा) बनाने के लिए किया जाता है। टमाटर का सेवन अनेक रूपों में किया जाता है। कच्चे सलाद के रूप में, उबालकर सूप के रूप में और पकाकर सब्जी के रूप में तथा चटनी, सूप, केचप, सॉस आदि बनाकर भी किया जाता है।

यह विधि की विडम्बना है कि लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक टमाटर को एक विषैली सब्जी समझा जाता था, परन्तु आज टमाटर का उपयोग अनेक रूपों में संभवतः सब्जियों में सबसे अधिक किया जाता है। इसलिए टमाटर को नई दुनिया का फल कहा जाता है। प्राचीनकाल में टमाटर को विषैला समझने के कारण चिकित्सक गठिया अथवा गैस वाले रोगियों के लिए इसका प्रयोग मना करते थे। उसके बाद इसके संबंध में जो अनुसंधान किए गए, उससे इन मान्यताओं को गलत माना गया और अब टमाटर को अत्यधिक पोषक और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला माना जाता है।

आलू के बाद सब्जियों में टमाटर का प्रमुख स्थान है। टमाटर का पौधा नाजुक व झाड़नुमा होता है। टमाटर अपने फैलाव के भार को न संभाल पाने के कारण जमीन पर फैलने लगता है। पत्तों से लदा पौधा दो–तीन फीट ऊंचा हो जाता है। फूल पीले रंग के होते हैं। प्रारम्भ में जब टमाटर लगते हैं तो कच्ची अवस्था में हरे रंग के होते हैं। जब वह पकता है तो उसका रंग लाल एवं पीत–हरित लाल हो जाता है। फल के अंदर बीज गूदे के साथ चिपके रहते हैं। टमाटर पर कठोर कवच नहीं होता बल्कि एक हल्की खोल में गूदा एवं बीज बंद रहते हैं। फलवृंत मजबूत, पक्व अवस्था में फल इससे आसानी से अलग हो जाता है।

टमाटर दो प्रकार (देशी और विलायती) के होते हैं। देशी टमाटर खट्टा तथा स्वादु होता है, इसमें गूदा कम और रस अधिक होता है। विलायती टमाटर खट्टा नहीं होता है, गूदा अधिक तथा खोल मोटा होता है। टमाटर की खेती भारत के सभी राज्यों में वर्ष भर की जाती है। यह घरों के आसपास खाली पड़ी जमीन, गमलों तथा किचन गार्डन में भी आसानी से उगाया जा सकता है। टमाटर के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली भूमि सर्वोत्तम रहती है। टमाटर की कई किस्में होती हैं। पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा–120, मारग्लोब, पंजाब छुआरा, सलेक्शन–120, पंत बहार, हिसार अरुणा (सलेक्शन–7) एम टी एच–6, एच एस–101, सी ओ–3, सलेक्शन–152, पंजाब केसरी, पंत टी–1, अर्का सौरभ, एस–32, डी टी–10 आदि टमाटर की उन्नत किस्में हैं तथा कर्नाटक हाइब्रिड–1, रशमी, सोनाली, पूसा हाइब्रिड–1 व 2, ए आर टी एच–3, एच ओ ई–606, एन ए–601, बी एस एस–20, अविनाश–2, एम टी एच–6 आदि टमाटर की संकर किस्में हैं।

आयुर्वेद के अनुसार टमाटर मधुर, तासीर में ठंडा, विपाक में प्रायः मधुर, रुचिकारक, भूख बढ़ाने वाला, रक्तशोधक, रक्त की कमी (एनीमिया) को दूर करने वाला, कब्जनाशक, उदर रोगों को नष्ट करने वाला, कमजोरी को दूर करने वाला, पाचक, मुंह में सुरुचि पैदा करने वाला, कृमिनाशक, खट्टी डकारें, मुंह में छाले, मसूड़ों में दर्द तथा मधुमेह में बड़ा गुणकारी होता है। प्राकृतिक चिकित्सकों ने टमाटर को शरीर में क्षार तत्व बनाए रखने में उपयोगी माना है। टमाटर के क्षार तत्व के कारण ही शरीर में रोगरोधक क्षमता बनी रहती है।

लाल–लाल टमाटर केवल देखने में सुन्दर और खाने में स्वादिष्ट ही नहीं, अनेक स्वास्थ्यवर्धक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से टमाटर में जीवन को दीर्घायु एवं स्वस्थ बनाए रखने वाले सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। टमाटर में विटामिन ए, बी और सी के अतिरिक्त खनिज लवण जैसे–कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और लौह तत्व आदि भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर में विटामिन इतनी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जितने संतरे और अंगूर में भी नहीं मिलते। यही कारण है कि टमाटर मनुष्य को पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाला एक चमत्कारिक आहार है। टमाटर के छिलके तथा छिलके के समीपस्थ गूदे में विटामिन ए बहुत अधिक मिलता है। टमाटर में साइट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम लाल एवं हरे टमाटर के सेवन से क्रमशः 20 एवं 23 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है (देखें तालिका)।

टमाटर में अन्य फलों एवं सब्जियों की अपेक्षा कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूंकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। अतः हड्डियों की मजबूती तथा मजबूत दांतों के लिए टमाटर का सेवन उपयोगी है। टमाटर में लोहा (आयरन) भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें अण्डे से पांच गुना अधिक लोहा होता है। अतः गर्भवती महिला को तो इसका नित्य सेवन करना चाहिए। टमाटर की एक विशेषता ये भी है कि इसको पकाने से इसके

पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। टमाटर में उपस्थित खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, यही तत्व नींबू और नारंगियों में भी पाया जाता है। टमाटर मानव शरीर में बहुत ही सरलतापूर्वक पच जाता है। इसलिए शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त लोगों को कच्चा टमाटर खाना बहुत लाभदायक होता है।

औषधीय गुणः आयुर्वेद के अनुसार टमाटर में कई औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। टमाटर के मात्र सेवन से ही यह अनेक शारीरिक रोगों का उपचार खुद–ब–खुद कर देता है। घरेलू औषधि के रूप में टमाटर का उपयोग अनेक असाध्य एवं सामान्य रोगों में किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

कैंसरः नवीन शोध के अनुसार उच्च पाचन शक्ति में सहायक टमाटर कैंसर को रोकने में भी सहायक हो सकता है। कीले यूनिवर्सिटी, इंग्लैण्ड के प्रो. जॉर्ज ट्रस्कॉट के अनुसार टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला रसायन लाइकोपीन हमारी कोशिकाओं को तम्बाकू और डीजल के धुएं से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड के दुष्प्रभावों से बचाता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव को कैंसरग्रस्त कर सकती है। लाइकोपीन कैंसर की रोकथाम में अहम भूमिका निभाता है। अतः सिगरेट के धुएं और वायु प्रदूषण के कारण जिन लोगों को कैंसर होने का खतरा अधिक होता है उन्हें सलाद के रूप में टमाटर का अधिकाधिक सेवन करना चाहिए या इसका रस अवश्य पीना चाहिए। यहां यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टमाटर में उपलब्ध रसायन लाइकोपीन मानव शरीर में कैंसर फाइटर की तरह कार्य करता है।

रतौंधीः टमाटर में विटामिन ए इतनी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कि प्रतिदिन तीन–चार लाल टमाटर खाने से शरीर को जितने विटामिन की आवश्यकता होती है वो आसानी से पूरी हो जाती है, जिससे रतौंधी अथवा अल्प दृष्टि रोग नहीं होता है। अतः नेत्र रोगों के लिए यह विशेष उपयोगी है।

स्कर्वीः टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों में स्कर्वी प्रमुख रोग है। स्कर्वी का रोगी कमजोर और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके मसूड़ों से खून आने लगता है तथा शरीर में खून की कमी हो जाती है। टमाटर का नियमित सेवन करते रहने से विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग नहीं होते हैं।

सूखा रोगः बच्चों के सूखा रोग (रिकेट्स) में टमाटर का सेवन लाभदायक होता है। बच्चों के सूखा रोग में ताजे टमाटरों का रस नियमित सुबह–शाम पिलाने से शीघ्र लाभ होने लगता है।

रक्तशोधकः टमाटर अपने क्षार के कारण रक्त को शुद्ध रखता है और मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती

लाल एवं हरे टमाटर का पोषक मान

लाल टमाटर		हरा टमाटर	
पोषक तत्वों की मात्रा			प्रति 100 ग्राम
नमी	94.0 प्रतिशत	नमी	93.1 प्रतिशत
कार्बोहाइड्रेट	3.6 प्रतिशत	कार्बोहाइड्रेट	3.6 प्रतिशत
प्रोटीन	0.9 प्रतिशत	प्रोटीन	1.9 प्रतिशत
वसा	0.2 प्रतिशत	वसा	0.1 प्रतिशत
खनिज लवण	0.5 प्रतिशत	खनिज लवण	0.6 प्रतिशत
रेशे	0.8 प्रतिशत	रेशे	0.7 प्रतिशत
ऊर्जा	20 किलो कैलोरी	ऊर्जा	23 किलो कैलोरी
खनिज एवं विटामिन			
कैल्शियम	48 मि.ग्रा.	कैल्शियम	20 मि.ग्रा.
फॉस्फोरस	20 मि.ग्रा.	फॉस्फोरस	36 मि.ग्रा.
आयरन	0.64 मि.ग्रा.	आयरन	1.8 मि.ग्रा.
पोटेशियम	146 मि.ग्रा.	पोटेशियम	114 मि.ग्रा.
तांबा	0.19 मि.ग्रा.	तांबा	0.19 मि.ग्रा.
केरोटिन	351 माइक्रोग्राम	केरोटिन	192 माइक्रोग्राम
थायमिन	0.12 मि.ग्रा.	थायमिन	0.07 मि.ग्रा.
राइबोफ्लेविन	0.06 मि.ग्रा.	राइबोफ्लेविन	0.01 मि.ग्रा.
नायसिन	0.40 मि.ग्रा.	नायसिन	0.40 मि.ग्रा.
विटामिन सी	27 मि.ग्रा.	विटामिन सी	31 मि.ग्रा.

है। टमाटर खट्टा होता है। टमाटर की खटाई रक्तशोधक होती है। रक्तशोधन के लिए टमाटर को अकेले ही सेवन करना चाहिए, अर्थात् किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं लेना चाहिए।

एनीमियाः खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने में टमाटर बड़ा ही उपयोगी है। टमाटर में लौह और तांबे की भरपूर मात्रा होती है, जो रक्त को साफ करके उसे गाढ़ा एवं लाल बनाती है। सौ ग्राम टमाटर के रस में काला नमक मिलाकर सुबह–शाम पीने से खून की कमी (एनीमिया) दूर होती है। टमाटर, गाजर एवं चुकंदर का रस प्रतिदिन सेवन करने से रक्त वृद्धि होती है। पके ताजा टमाटरों का नियमित सेवन करने से गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी दूर होती है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव दूर होता है।

रक्त दोषः टमाटर रक्त दोष को भी दूर करता है तथा चर्म रोग को ठीक करता है। दांतों से रक्त निकलता हो, स्कर्वी रोग की संभावना हो, रक्तविकार हो, दाद व बेरी–बेरी हो, टमाटर का रस दिन में तीन बार पीने से लाभ होता है। रक्तपित्त विकार में टमाटर के रस में शहद तथा उतना ही ताजा पानी मिलाकर नियमित कुछ दिनों तक सेवन करने से रक्तपित्त के विकार दूर होते हैं। टमाटर का रस यकृत को शक्ति प्रदान करता है और उसे अधिक सक्रिय बनाता है।

पाचन शक्तिः टमाटर हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन 2–3 टमाटर का सेवन करने से कब्ज स्वतः ही दूर हो जाती है। पेट का अफारा शांत होता है। आमाशय साफ रहता है। आमाशय के विष को निकालकर यह हमें निरोग रखता है।

आंत्रकृमिः ताजा टमाटर के रस में काली मिर्च व सेंधा नमक मिलाकर बच्चों को पिलाने से आंत्रकृमि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही पेट के कीड़े भी मर जाते हैं।

छालों में: टमाटर के रस में ताजा पानी मिलाकर कुल्ला करने से मुंह और जीभ के छाले दूर हो जाते हैं। जिन्हें बार–बार छाले होते हैं, उन लोगों को टमाटर का अधिक सेवन करना चाहिए। छालों में टमाटर रामबाण औषधि का कार्य करता है।

दांतों की मजबूतीः टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है। दांत चमकने लगते हैं। टमाटर खाने से बच्चों के दांत मजबूत होते हैं।

शक्तिवर्धकः टमाटर शक्तिवर्धक भी है। प्रातःकाल नाश्ते में एक गिलास टमाटर के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सेवन किया जाए तो चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। इस तरह यह कमजोरी भी दूर करने में सहायक है। इसका सूप भूख बढ़ाता है, रक्ताल्पता दूर करता है तथा थकावट व कमजोरी दूर कर चेहरे पर रौनक लाता है।

मधुमेहः मधुमेह में टमाटर बहुत लाभदायक होता है। मधुमेह के रोगी यदि टमाटर का ताजा रस नियमित सेवन करें तो उनके रक्त में शर्करा नियंत्रित रहती है।

बुखारः बुखार से पीड़ित लोगों को टमाटर का सूप पीना चाहिए। इससे शरीर में ताकत आती है और शरीर को सभी स्वास्थ्यवर्धक तत्वों की पूर्ति भी होती है। इसे सामान्य बुखार में ही देना चाहिए।

जोड़ों के दर्दः जोड़ों में दर्द रहता है तो पत्तों सहित टमाटर के पूरे पौधे का रस निकालकर बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर उबाल लें। पकते–पकते जब तेल शेष बचे तो किसी ढक्कनदार बर्तन में भरकर रख लें। इस तैयार तेल से जोड़ों, मोच आदि पर मालिश करें। इससे दर्द का निवारण शीघ्र ही हो जाता है।

फेफड़ों के रोगः रात को सोने से पूर्व लहसुन की 3–4 कलियां खाकर तत्पश्चात् टमाटर का रस पिएं। टमाटर के रस में शहद तथा पिसी इलायची और मिला लें तो यह टी.बी. एवं फेफड़े से संबंधी विकारों में बहुत लाभ करता है।

शिशुओं के दांत निकलने में: शिशुओं तथा छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए उन्हें पके ताजा टमाटरों का रस पिलाना चाहिए। इसके सेवन करने से बच्चों के दांत बिना किसी परेशानी के निकल आते हैं। साथ ही बच्चे की अस्थियां भी मजबूत होती हैं।

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

प्रकाशन विभाग के प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भ पुस्तक के लिए विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं.

- भारत की अर्थव्यवस्था, नीति, समाज, उद्योग, अवसंरचना, शिक्षा, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रामाणिक और अद्यतन डाटा.
- सामान्य ज्ञान, चालू घटनाक्रम, खेल स्पर्धाएं, मास मीडिया
- सिविल सेवा आकांक्षियों, छात्रों और अनुसंधान कर्ताओं के लिए पढ़ना अनिवार्य.

विज्ञापन टैरिफ

	इंडिया 2015		भारत 2015	
	रंगीन	श्याम एवं श्वेत	रंगीन	श्याम एवं श्वेत
पूरा पृष्ठ	30000	20000	20000	10000
दूसरा कवर पृष्ठ	60000		50000	
तीसरा कवर पृष्ठ	50000		40000	
प्रिंट क्षेत्र 12 × 20 सेंमी				

नई दिल्ली में देय एडीजी (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपना विज्ञापन भेजें.

अपना विज्ञापन बुक करने के लिए संपर्क करें:

व्यवसाय प्रबंधक (परिचालन एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड 4, तल 7
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066
फोन. 011-26105590, 26175516
ईमेल : **pdjucir@gmail.com**

डब्ल्यू रो.स. 27/ए

अरुचि: भोजन में अरुचि (भूख न लगना) पैदा हो गई हो, भूख न लगती हो, पाचन तंत्र या क्रिया गड़बड़ा गई हो तो टमाटर के रस में अदरक व नींबू का रस मिलाएं। इसमें रुचि अनुसार सेंधा नमक डालकर नियमित सुबह–शाम कुछ दिनों तक सेवन करें। इससे आश्चर्यजनक फायदा होगा। सेंधा नमक उपलब्ध ना हो तो काला नमक उपयोग में ला सकते हैं।

कब्ज: टमाटर पाचक और शक्तिवर्धक होने के कारण बड़ी आंत को शक्ति देता है। इससे पाचन शक्ति ठीक हो जाती है और कब्ज स्वतः दूर हो जाती है। कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पके टमाटरों का प्रतिदिन सेवन लाभकारी होता है।

वमन: टमाटर के रस में काली मिर्च और पिसी इलायची मिलाकर सेवन करने से वमन आदि विकार नष्ट होते हैं।

बार–बार प्यास लगना: बार–बार प्यास लगती हो, पानी पीने पर भी प्यास न बुझती हो तो ताजा टमाटर के रस में बारीक पिसी काली मिर्च तथा शक्कर मिलाकर सेवन करें।

शारीरिक सौंदर्य: यदि टमाटर के सूप या रस में पिसी काली मिर्च तथा सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें तो इससे शारीरिक सौंदर्य बढ़ने के साथ–साथ शरीर में स्फूर्ति का संचार भी होगा।

त्वचा की खुश्की: शरीर की त्वचा खुश्क हो जाने पर टमाटर का रस सुबह–शाम नियमित सेवन करें। यदि सर्दी अधिक पड़ रही हो तो रस हल्का गरम किया जा सकता है। अगर आप तुरंत लाभ चाहते हैं तो इसके साथ–साथ टमाटर के लगभग 10 ग्राम रस में उसका दुगुना सरसों का तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करें और आधा घंटे बाद स्नान करें। इससे एक–दो दिन में ही त्वचा नरम और सुकोमल हो जाएगी। उपर्युक्त नुस्खे के अलावा टमाटर के रस में नींबू का रस तथा ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर मालिश करें तो त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा कोमल एवं कांतिमय हो जाती है।

खुजली: टमाटर का रस एक चम्मच, नारियल का तेल दो चम्मच मिलाकर मालिश करें, फिर गर्म पानी से स्नान करें। खुजली मिट जाएगी।

तैलीय त्वचा: तैलीय त्वचा को ठीक से साफ करने के लिए एक चम्मच टमाटर के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर रोज दस मिनट तक चेहरे व गर्दन पर लगाएं। फिर ठण्डे सादे पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। यह तैलीय त्वचा के लिए बहुत बढ़िया फेसमास्क है। तैलीय त्वचा वालों के लिए टमाटर का रस, नींबू का रस और पपीते के गूदे से बनाया हुआ फेसमास्क उत्तम होता है।

कील–मुंहासे: कील–मुंहासे, दाग–धब्बे, कटे के निशान आदि को मिटाने के लिए टमाटर के गूदे को चेहरे पर मालिश करें तथा नियमित सेवन भी करें। शरीर में कटे के निशान को मिटाने के लिए रात्रि को उस स्थान पर निशान के बराबर टमाटर को काटकर एक सप्ताह तक बांधे। इससे निशान मिटकर त्वचा के स्वाभाविक रंग में बदल जाएगा। चेहरे के काले दागों, आंखों के नीचे काली झांइयां या चकत्ते मिटाने के लिए टमाटर के रस में रुई भिगोकर दाग–धब्बों पर लगाएं अथवा टमाटर के रस में गाजर का रस मिलाकर उंगलियों की पोर से धीरे–धीरे मालिश करें। इससे त्वचा भी निखर जाएगी।

होंठ फटना: टमाटर के सेवन से होंठ फटने की शिकायत दूर हो जाती है। खासकर शीत ऋतु में सर्द हवा से अक्सर होंठ फट जाते हैं तथा उन पर पपड़ियां–सी जम जाती हैं, इससे बचाव के लिए लाल टमाटर खूब खाने चाहिए।

सावधानियां: टमाटर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। टमाटर में एक तेजाबी अंश होता है जो पेट साफ रखता है। टमाटर सेवन के बाद पानी पीने से यह तेजाबी अंश नष्ट हो जाता है। तेज खांसी में कच्चे टमाटर का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खांसी बढ़ सकती है। टमाटर के रस को पीने से कुछ लोगों को परेशानी होती है, ऐसे लोग टमाटर के रस में समान मात्रा में सेब का रस मिलाकर, एक दो चम्मच शहद डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि टमाटर गुणकारी होता है फिर भी पथरी, सूजन, संधिवात, आमवात और अम्लपित्त (एसिडिटी) के रोगी को टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए।

वरिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक प्राध्यापक,
आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 313 001
ई–मेल : khandelwalsk19@gmail.com

सफलता की कहानी

तालाब के जरिए वित्त प्रबंधन में जुटे बुंदेलखंड के किसान

सुनील कुमार सिंह

पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में बिना पानी की खेती की बात करना बेमानी है। बुंदेलखंड इलाके में खेतिहर किसानों की अच्छी-खासी संख्या है, लेकिन पानी के अभाव में वे परेशान थे। ऐसे में इस इलाके के किसानों ने कृषि वित्त प्रबंधन की नई तकनीक अपनाई। यह नई तकनीक है अपना खेत अपना तालाब की। किसानों ने कृषि वित्त प्रबंधन का फंडा अपनाते हुए अपने खेत में बड़े-बड़े तालाब बनाए हैं। पहले एक किसान ने इसका प्रयोग किया। प्रयोग सफल रहा तो पूरे इलाके के किसान इस प्रयोग के जरिए खेती से मुनाफा कमा रहे हैं।

पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में बिना पानी के खेती की बात करना बेमानी है। बुंदेलखंड इलाके में खेतिहर किसानों की अच्छी–खासी संख्या है, लेकिन पानी के अभाव में वे परेशान थे। ऐसे में इस इलाके के किसानों ने कृषि वित्त प्रबंधन की नई तकनीक अपनाई। यह नई तकनीक है अपना खेत अपना तालाब की। किसानों ने कृषि वित्त प्रबंधन का फंडा अपनाते हुए अपने खेत में बड़े–बड़े तालाब बनाए हैं। पहले एक किसान ने इसका प्रयोग किया। प्रयोग सफल रहा तो पूरे इलाके के किसान इस प्रयोग के जरिए खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। सुविधासंपन्न किसानों ने अपने दम पर तालाब बनवाए तो गरीब किसानों के लिए प्रशासन ने मदद की। शासन–प्रशासन ने गरीब किसानों को बड़े किसानों की तरह ही अपनी जमीन पर तालाब खोदने के लिए प्रोत्साहित किया और अनुदान की भी व्यवस्था की। पिछले दो साल में इस इलाके में करीब पांच सौ से अधिक तालाब बन चुके हैं। इस पूरे इलाके में हुए इस नए प्रयोग को तालाब क्रांति नाम दिया गया है। सरकार ने भी किसानों की इस पहल का स्वागत किया और दिल खोलकर पैसा खर्च किया।

तालाब बनाकर जल संरक्षण

बुंदेलखंड में पानी संकट को देखते हुए सरकार ने अलग–अलग जिले के अलग–अलग इलाके को डार्क जोन घोषित कर रखा है। डार्क जोन घोषित होने के बाद इस इलाके में धरती से पानी निकासी पर रोक लग गई। ऐसे में जिन किसानों के पास खेत हैं वे सिंचाई के अभाव में खेती से वंचित रहने लगे। तमाम किसानों ने खेती करना छोड़ दिया क्योंकि बिना पानी के खेती करना संभव ही नहीं है। जिन लोगों के पास

पंपसेट थे वे भी एक घंटे से ज्यादा नहीं चला पाते थे। घंटेभर में ही कुएं सूख जाते थे। फिर इस गांव के लोगों ने कृषि वित्त प्रबंधन का फंडा अपनाया। महोबा के बरबई, काकुन और चरखारी गांवों में घुसते ही बड़ी संख्या में तालाब दिखाई पड़ते हैं। इन गांवों में हर किसान के पास कम से कम एक तालाब जरूर है। इसका असर यह है कि इस इलाके में पहले से स्थित कुआं भी रिचार्ज हो गया है। जिस बोरिंग से सिर्फ एक से दो घंटे ही सिंचाई की जा सकती थी, उससे अब चार से पांच घंटे पानी निकासी हो रही है। इसका दूसरा फायदा यह भी देखने को मिला कि जो छोटे किसान हैं और अपने खेत में तालाब नहीं बना सकते हैं उन्हें भी पड़ोस में बने तालाबों का फायदा मिल रहा है। उनके भी कुएं रिचार्ज हो गए हैं। दरअसल पिछले कई सालों से पानी की इतनी कमी हो गई थी कि सरकार ने महोबा जिले के सभी विकासखंडों को डार्क जोन घोषित कर दिया था। डार्क जोन का मतलब है कि जितना पानी जमीन में जा रहा है उससे कई गुना निकाला जा रहा है। यानी धरती रेगिस्तान बन रही है और पानी पाताल चला गया है। इससे परेशान ज्यादातर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। जो किसान खेती करते थे, उन्हें सिंचाई में काफी पैसा, समय और श्रम देना पड़ता था, लेकिन बाद में जब उन्हें तालाब तकनीक की जानकारी हुई तो खेती की राह एक बार फिर आसान लगने लगी।

महोबा जिले के काकून गांव निवासी रामबाबू यादव बताते हैं कि उनके पास करीब 80 बीघा खेत हैं। वह बचपन से ही खेती को देखते रहे हैं, लेकिन करीब चार साल पहले उन्हें खेती घाटे का सौदा लगने लगी। तिल, सरसों, मटर आदि फसलों के जरिए वह अपने परिवार का पालन–पोषण करते थे, लेकिन खेत में लगे बोरिंग जवाब देने लगे। पानी के अभाव में खेती फायदे के बजाय घाटा देने लगी। वह बताते हैं कि बोरिंग के जवाब देने से नगदी फसलें नहीं हो पाती थी। ऐसे में वह खेतों को परती छोड़ने लगे। परिवार का भरण–पोषण करने के लिए शहर की ओर जाने का मन बना रहे थे, तभी उन्हें तालाब के जरिए कृषि वित्त प्रबंधन की जानकारी मिली। पहले तो विश्वास नहीं हुआ। लगा कि कहीं तालाब बनाने में होने वाला खर्चा भी न डूब जाए। इस नई कृषि प्रबंधन तकनीक में घाटा हुआ तो खेत बेचने पड़ जाएंगे। फिर भी खेती से बचपन से रहा लगाव पैर पीछे खींचने के लिए रोकता रहा। आखिरकार जुएं में दांव लगाने जैसा मन बनाकर तालाब बनवाया। सोचा कि यदि फायदा मिला तो भी ठीक है, नहीं तो बर्बादी को तय माना जाए। पहले एक तालाब का निर्माण शुरु करवाया। यह कच्चा तालाब उस स्थान पर बनवाया, जहां उनकी बोरिंग थी। 30 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और पांच मीटर ऊंचाई का तालाब तैयार करवाया गया। जिस तरफ से पानी की आवक थी, उधर तालाब में पानी जाने के लिए नालियों की आकृति दी गई। जुलाई–अगस्त में बारिश हुई और खेतों का पूरा पानी तालाब में पहुंचा। तालाब लबालब भर गया।

बारिश होते ही दिखाई पड़ा करिश्मा

रामबाबू बताते हैं कि बारिश होते ही जैसे कोई करिश्मा हो गया हो। कुछ दिनों के बाद देखा तो कुएं का भी जलस्तर बढ़ता नजर आया। इस तालाब से पास–पड़ोस में स्थित दूसरे किसानों के कुएं भी रिचार्ज हो गए। यह एक अजूबे जैसा था। फिर दो बोरिंग को घंटा चलाना मुश्किल होता था, वह चार से पांच घंटे चलने लगी। इससे खेती के प्रति ललक बढ़ी। बारिश का मौसम खत्म होते ही उन्होंने मटर की खेती की। उनके पास–पड़ोस के खेत में भी मटर बोई गई। इस इलाके में मटर में सिर्फ एक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। कुएं का जलस्तर बढ़ा होने की वजह से सिंचाई के लिए जहां पहले एक–एक घंटे पांच दिन का समय देना पड़ता था, वहीं उस साल एक ही दिन में पांच घंटे लगातार पंपसेट चलाकर सिंचाई की। यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक लगा। सभी किसानों को काफी अच्छा महसूस हुआ। बाजार में मटर के भाव भी अच्छे मिले। कई सालों बाद मिले इस मुनाफे से किसानों के चेहरे खिल गए। रबी सीजन में दूसरी फसलों को तालाब से सींचा गया। ऐसे में जिस पानी के लिए उन्हें काफी श्रम और पैसा खर्च करना पड़ता था वह तालाब ने आसान कर दिया। फिर तो तालाब क्रांति की शुरुआत हो गई।

साल–दर–साल बढ़ते गए तालाब

रामबाबू बताते हैं कि पहले वर्ष तो उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन अगले साल उन्होंने दूसरे खेत में भी तालाब खुदवाया। यह देख उनके पड़ोसी किसानों की भी तालाब में रुचि बढ़ गई। देखादेखी गांव में 36 तालाब बन गए। एक गांव में 36 तालाब का बनना अपने आप में आश्चर्यजनक रहा। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने गांव में समारोह का आयोजन कर किसानों को सम्मानित किया। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने भी रुचि दिखाई। जिसका नतीजा रहा कि महोबा नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में तालाब बनाने का कार्य तेजी से चला। जिस भी किसान के पास पर्याप्त खेत था, उसने तालाब बनाना सुनिश्चित किया। स्थिति यह हुई कि एक बार फिर जिला डार्कजोन से बाहर निकला। रामबाबू यादव बताते हैं कि तालाब खेती के लिए सबसे कारगर उपाय है। हालांकि इस बार बारिश कम होने की वजह से तालाब पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। फिर भी जो पानी है, उससे रबी सीजन का काम चल जाएगा। वह कल्पना करते हैं कि जिस तरह से इस साल बारिश कम हुई है। यदि उनके गांवों में तालाब नहीं होते तो इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि क्या हालात होते। पूरे बुंदेलखंड में सिंचाई के बारे में सोचा भी नहीं

जा सकता था। इस बार खेत को परती छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन तालाब हैं तो भरोसा है। तालाब के जरिए इन दिनों मटर एवं लाही की खेती की गई है। दोनों फसलें खेत में लहलहा रही हैं। वह बताते हैं कि पहले तो किसानों को लगता था कि यदि एक बीघे का तालाब बनवाते हैं तो उसकी मिट्टी रखने में करीब डेढ़ बीघा खेत खराब होगा, लेकिन जब देखा कि डेढ़ बीघे के चक्कर में पूरा का पूरा खेत खाली रह जा रहा है तो वे डेढ़ बीघा खेत खाली रखने पर तैयार हो गए।

बड़े किसान पहुंचा सकते हैं छोटे किसानों को फायदा

रामबाबू कहते हैं कि तालाब के जरिए समाज सेवा भी की जा सकती है। वह इसका रास्ता बताते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आखिर एक किसान को दूसरे किसान का मददगार बनकर अपना धर्म भी तो निभाना है। वह कुछ इस तरह तर्क देते हुए कहते हैं कि जिस इलाके में लघु एवं सीमांत किसान हैं, वहां तालाब क्रांति पूरी तरह से सफल होने पर संशय है, लेकिन जिस इलाके में बड़े किसान हैं वहां तालाब से बढ़िया सिंचाई का कोई साधन हो ही नहीं सकता। दूसरा फायदा यह है कि यदि बड़े किसान अपने खेत में तालाब बनवाते हैं और बारिश के पानी का सदुपयोग करते हैं उसका फायदा छोटे किसानों को भी मिलता है। तालाब बनने से पास-पड़ोस में रहने वाले छोटे किसानों के पंपसेट भी भरपूर पानी देने लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है। खेतों का पानी बहते हुए नालों से नदियों में पहुंचता है और फिर समुद्र में लीन हो जाता है। यानी इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि खेत का पानी खेत में रोका जाए तो जलस्तर में इजाफा होगा। खेत की मेड़ें नहीं टूटेंगी। क्योंकि खेत की मेड़ बनवाने में भी काफी श्रम और पैसा खर्च होता है। इस तरह एक तालाब से कई फायदे होते हैं। प्राकृतिक जल संरक्षण की दिशा में आपका योगदान होता है। मददगार के तौर पर आप किसान धर्म निभाते हैं और तालाब के पानी से अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारते हैं।

सरकार का भरपूर सहयोग

रामबाबू कहते हैं कि तालाब बनवाने में अधिक पैसा भी खर्च नहीं होता है क्योंकि अब सरकार की ओर से अनुदान, छूट आदि की व्यवस्था की गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत तालाब खुदवाया जा रहा है। किसान इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से मदद ले सकते हैं। मनरेगा योजना के तहत भी तालाब खुदवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आसपास किसी को मिट्टी की जरूरत है तो वह भी मिट्टी की चाहत में तालाब खुदाई में किसान की मदद कर सकता है।

सिंचाई के साथ कमाई का जरिया भी बने तालाब

सिंचाई के लिए खेतों में खुदवाए गए तालाब कमाई का जरिया भी बन गए हैं। किसानों ने जब तालाब खुदवाया था तो उन्हें तालाब के दूसरे उपयोग के बारे में जानकारी नहीं थी। वे सिर्फ यही सोच रहे थे कि तालाब से उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन तालाब तैयार होते ही, इसके दूसरे फायदे सामने आने लगे। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से गांव-गांव किसानों को जागरूक किया गया। तालाब के सदुपयोग के बारे में जानकारी दी गई। फिर क्या था, तालाब तो कमाई का जरिया बन गया। तमाम किसान इसमें जहां सिंचाई कर रहे हैं वहीं इनमें सिंघाड़ा, कमलगट्टा और मछली पालन भी कर रहे हैं। जिले के मत्स्य विभाग की ओर से किसानों को मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। और फिर उन्हें मछली के बीज उपलब्ध कराए गए। यह बीज भी किसानों को अनुदान पर मिला। ऐसे में उन्हें अधिक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। बस थोड़ी-सी देखभाल में समय खर्च करना पड़ा। कुछ समय बाद ही उन्हें खेती के साथ ही मछली पालन से भी पैसा मिलने लगा। कुछ ऐसी ही स्थिति सिंघाड़ा और कमलगट्टा की खेती से रही। इसके लिए उद्यान विभाग ने किसानों को प्रशिक्षित कर खेती करवायी।

यूं बढ़ता गया कारवां

रामबाबू की तरह ही राजेंद्र रिछारिया, बृजपाल आदि किसान भी तालाब को खेती का सबसे जरूरी हिस्सा बताते हैं। राजेंद्र

रिछारिया के मुताबिक अपने खेत में तालाब के जरिए न सिर्फ भरपूर सब्जी उगा रहे हैं बल्कि अमरूद, करौंदा और आंवला, नींबू जैसे फलों की भी खेती कर रहे हैं। पानी के साधन होने की वजह से इन फसलों से उन्हें भरपूर मुनाफा मिल रहा है। राजेंद्र के गांव में सात तालाब हैं। पिछले साल सभी तालाब पानी से लबालब हो गए थे। इस साल बारिश कम हुई है फिर भी ये सभी तालाब अभी पानी से भरे हैं। यानी रबी सीजन में पानी के इंतजाम के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। जायद की फसल भी काफी हद तक ली जा सकेगी। रहा सवाल खरीफ की फसल का तो यदि दो फसलें भरपूर हो जाएंगी तो एक सीजन की फसल के लिए किसान इंतजार भी कर सकता है। दूसरा पहलू यह है कि जब कुएं रिचार्ज रहेंगे तो किसी न किसी तरह खरीफ सीजन का भी काम चल जाएगा। कीरतपुर गांव में देखा–देखी तमाम किसानों ने अपने खेत में तालाब खुदवा रखे हैं। इस गांव में करीब दो दर्जन से ज्यादा तालाब हैं। हर खेत के किनारे एक तालाब दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस गांव के करीब चार सौ बीघा खेत फसलों से आच्छादित हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति आसपास के अन्य गांवों में भी हैं।

एक प्रयोग ने बदल दी तस्वीर

इस इलाके में भ्रमण के दौरान जहां चार साल पहले खेत में धूल उड़ती नजर आती थी। वहीं अब खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। इसका श्रेय सीधे–सीधे तालाब को जाता है। तालाब न होते तो इस इलाके में खेती का काम बंद हो गया होता और प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बेरोजगारी और उत्पादन का संकट खड़ा होता, लेकिन तालाब बनने से खेती संभल गई है। गंभीर बात यह है तालाब बनने के बाद इस इलाके के किसान न सिर्फ परंपरागत फसलें ले रहे हैं बल्कि वे आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ करने की दिशा में भी प्रयासरत हैं। खेती के साथ, औषधीय एवं सब्जी की खेती में भी रुचि ले रहे हैं। तमाम किसानों ने बागवानी तैयार कर रखी है। खेती के साथ ही बागवानी होने से कृषि वित्त प्रबंधन को नई दिशा मिली है। कुछ किसानों ने आर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कृषि वित्त प्रबंधन के जरिए महोबा के चंद गांव पूरे देश के लिए मॉडल बनकर उभरे हैं। यदि महोबा की तरह ही अन्य इलाकों के बड़े किसान भी तालाब बनवाना शुरू कर दें तो उनकी लागत बचेगी। साथ ही जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। क्योंकि पानी ही जीवन है और जब तक पानी नहीं होगा तब तक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तालाब के जरिए पानी संरक्षण करके किसान अपनी खेती की लागत में कटौती कर सकते हैं। महोबा के किसानों ने यह कर दिखाया है। यहां के किसानों के इस प्रयोग को देखते हुए पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश के किसानों ने भी यह तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। गुना के लोग अपने खेत में अपना तालाब पाकर अब काफी राहत महसूस करते हैं। वर्षा के पानी से लबालब भरा तालाब उनके लिए किसी जमापूंजी से कम नहीं है। पलेवा के साथ एक सिंचाई तो आसानी से उनकी फसल में हो ही जाती है, साथ ही खेत में लगे ट्यूबवैल और कुएं का जल–स्तर भी ऊपर आया है। यह सुखद अनुभव प्राप्त किया गुना जिले के उन कृषकों ने, जिन्होंने शासन की खेत–तालाब योजना का लाभ लेकर अपना खेत–तालाब बनाया है। किसानों के हित में और जलाभिषेक अभियान के महायज्ञ में खेत तालाब भू–जल संवर्धन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिन किसानों ने खेत–तालाब योजना को अपनाया है, उन्हें देखकर जिले के अन्य किसान भी खेत तालाब के लिए प्रेरित हुए हैं। विकासखंड आरोन के ग्राम खामखेड़ा निवासी हरवीर सिंह रघुवंशी बताते हैं कि गत वर्ष उन्होंने अपने खेत में खेत–तालाब बनाया था, जिसमें पहली बारिश के पानी ने जलाभिषेक किया। तालाब में भरपूर पानी संग्रहित होने से उन्होंने चने और गेंहू की फसल के पलेवा के साथ–साथ एक सिंचाई भी ली, जिससे फसलों को काफी लाभ हुआ। खेत तालाब में संग्रहित हुए जल ने भू–जल स्तर को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप ट्यूबवैल में वर्ष भर पर्याप्त पानी बना रहा। इसी प्रकार ग्राम बूढ़ाखेडा की ऊषाबाई, गुरैया की मनोरमाबाई और आरोन की पिस्ताबाई ने भी खेत–तालाब के सुखद अनुभव प्राप्त किए। इन महिला कृषकों ने शासन की खेत–तालाब योजना को किसानों के लिए वरदान बताया। उनका मानना था कि यदि यह योजना बहुत पहले आई होती तो शायद किसानों को फसल के लिए जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। मत्स्य पालन में सहयोगी बने खेत तालाब जिले के विकासखंड बमोरी के ग्राम बेरखेडी में कृषक चेनसिंह ने और शेखपुर के कृषक माधोसिंह ने तो खेत–तालाब योजना का दोहरा लाभ प्राप्त किया है। इन दोनों जागरूक किसानों ने अपने खेत–तालाब में संग्रहित वर्षा के जल में मत्स्यपालन को भी अपनाया। उनका कहना था कि खेत तालाब फसलों को सिंचाई के लिए पानी तो उपलब्ध कराते ही है, यदि उनके कुछ जल को संरक्षित रखा जाए तो मत्स्य पालन भी किया जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sunil.saket@gmail.com

हमारे आगामी अंक

दिसंबर, 2014	–	गांवों और शहरों में स्वच्छता (Sanitation in Rural and Urban Areas)
जनवरी, 2015	–	कृषि का व्यवसायीकरण (Commercialisation of Agriculture)
फरवरी, 2015	–	ग्रामीण–शहरी लिंकेज (Rural-Urban Linkages)

A Good News For the Civil Services aspirants

NATIONAL BOOK TRUST, INDIA

Presents a spectrum of books on various subjects catering to your needs !!

BUY TODAY

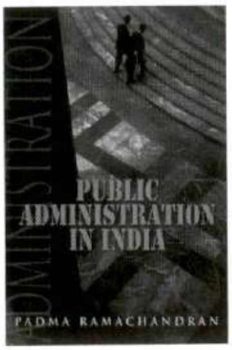

PUBLIC ADMINISTRATION IN INDIA
₹ 100

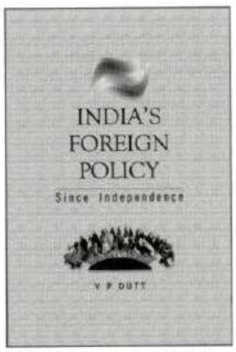

INDIA'S FOREIGN POLICY SINCE INDEPENDENCE
₹ 120

FROM GOVERNMENT TO GOVERNANCE
₹ 60

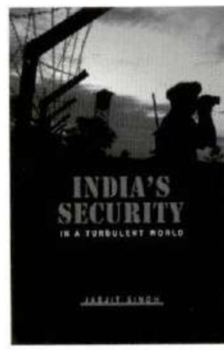

INDIA'S SECURITY IN A TURBULENT WORLD
₹ 90

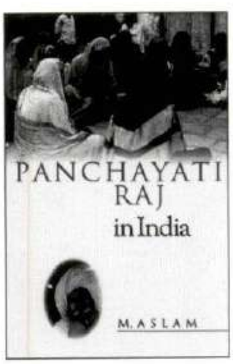

PANCHAYATI RAJ IN INDIA
₹ 90

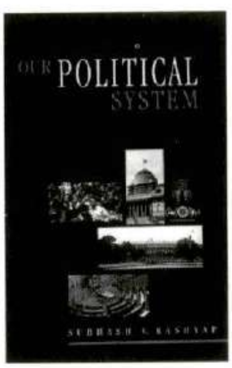

OUR POLITICAL SYSTEM
₹ 140

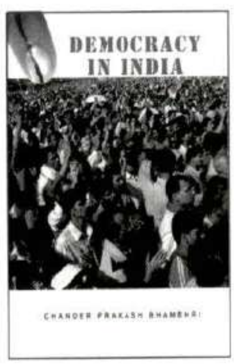

DEMOCRACY IN INDIA
₹ 55

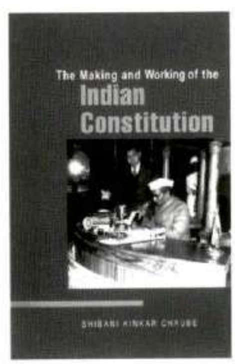

THE MAKING AND WORKING OF THE **INDIAN CONSTITUTION**
₹ 105

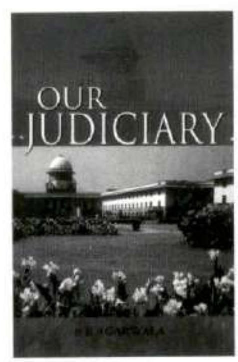

OUR JUDICARY
₹ 80

NBT Books are available here :

Head Office
NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
Ministry of Human Resource Development, Government of India
Nehru Bhawan, 5 Institutional Area, Phase-II, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone : 91-11-26707700 | Fax : 91-11-26707846 Website : www.nbtindia.gov.in

nbt.india
एकः सूते सकलम्

New Delhi | Mumbai | Bengaluru | Kolkata | Chennai | Hyderabad | Guwahati | Agartala | Patna

Visit NBT website to buy our books online at www.nbtindia.gov.in

davp 21103/13/0028/1415

KH-223/2014

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2012–14
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2012–14
2 नवम्बर 2014 को प्रकाशित एवं 5–6 नवम्बर 2014 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2012-14
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2012-14
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना